खण्ड-330, अंक-1
शुक्रवार, 26 फाल्गुन, शक संवत् 1899
(17 मार्च, 1978 ई0)

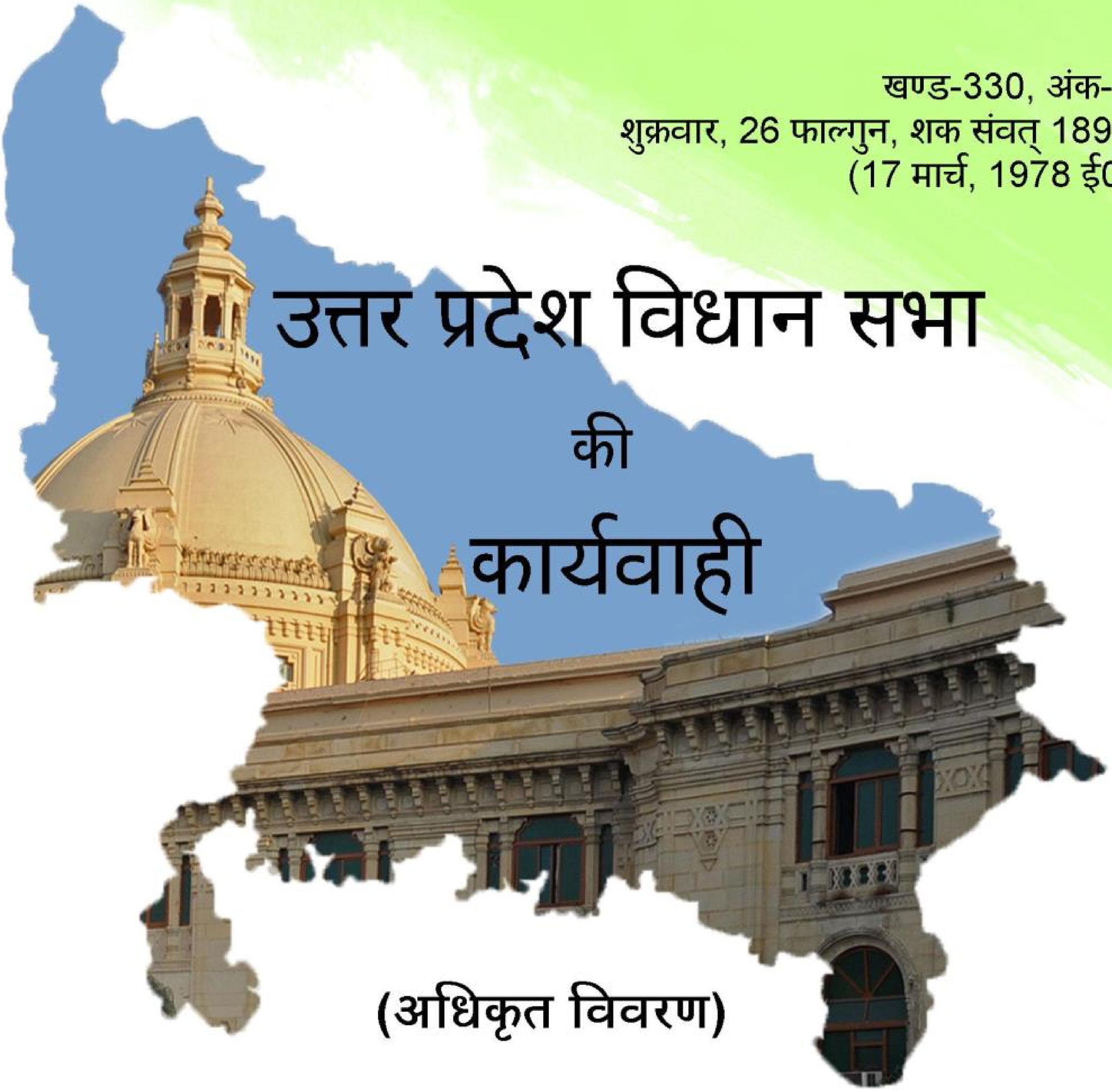

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 330 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1978

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1–5
श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ ..	5–6
विधान सभा सदस्य, श्री गंगा प्रसाद व श्री राम प्रताप शास्त्री तथा भूतपूर्व सदस्य, सर्वश्री गेंदा सिंह, मोहम्मद अब्दुस्समी, विशेश्वर दयाल सेठ, राम अधीन सिंह यादव, जमीलुर्रहमान किदवाई, गंगाधर शर्मा एवं अशफाक अली खां के निधन पर शोकोद्गार	6–13
विविध विषय	13–14
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (सदन के पटल पर रखा गया)	14
उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1977 (सदन के पटल पर रखा गया)	14
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधियों का संशोधन अध्यादेश, 1977 (सदन के पटल पर रखा गया)	14
उत्तर प्रदेश औद्योगिक शांति (मजदूरी का यथा समय संदाय) अध्यादेश, 1977 (सदन के पटल पर रखा गया)	15
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (सदन के पटल पर रखा गया)	15
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (सदन के पटल पर रखा गया)	15
उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1977 (सदन के पटल पर रखा गया)	15
उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1977(सदन के पटल पर रखा गया)	15
उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन अध्यादेश, 1978 (सदन के पटल पर रखा गया)	15
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधन (संशोधन) अध्यादेश, 1977 (सदन के पटल पर रखा गया)	1
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (सदन के पटल पर रखा गया)	15
उत्तर प्रदेश इंटरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (सदन के पटल पर रखा गया)	16

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (सदन के पटल पर रखा गया)	16
उत्तर प्रदेश आबकारी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1978 (सदन के पटल पर रखा गया)	16
आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1978 (सदन के पटल पर रखा गया)	16
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1978 (सदन के पटल पर रखा गया)	16
वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग–2 की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयी)	16–17
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा (पांचवां संशोधन) नियमावली, 1977 (सदन के पटल पर रखी गयी)	17
पंचायती वन नियमावली, 1976 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	17
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना तथा कार्य करने के सम्बन्ध में कठिनाइयों को दूर करना) (पंचम) आदेश, 1977 (सदन के पटल पर रखा गया)	17
चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम (सदन के पटल पर रखे गये)	18
संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1977 के अनुसमर्थनार्थ राज्य सभा सचिवालय द्वारा विधान सभा सचिवालय को प्राप्त पत्र एवं तद्विषयक कार्यवाही (सदन के पटल पर रखी गयी)	18
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1977 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	18
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1977 (श्री राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	18
दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1977 (माननीय राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	18–19
सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई के सम्बन्ध में सूचनायें	19
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर व्यवधान उत्पन्न करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना	19–20
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर कुछ सदस्यों द्वारा अशोभनीय एवं अवांछनीय व्यवहार करने पर भर्त्सना का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	20–26
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर सदस्य, श्री सुन्दर लाल दीक्षित तथा सुरेन्द्रपाल आदि द्वारा अशोभनीय एवं अवांछनीय व्यवहार करने के संबंध में विधान सभा के सदस्यों की जांच समिति गठित करने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	26–44

विषय	पृष्ठ-संख्या
विधान सभा के कतिपय सदस्यों द्वारा कांग्रेस दल बनाने की घोषणा तथा कांग्रेस (आई) के नेता श्री नारायण दत्त तिवारी की नेता विरोधी दल की मान्यता का वापस लिया जाना	44–45
लखनऊ में गन्ना किसानों द्वारा किये गये प्रदर्शन के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	45–46
कार्य-मन्त्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	47–49
उत्तर प्रदेश औद्योगिक शांति (मजदूरी का यथा समय संदाय) विधेयक, 1978 (पुरःस्थापित किया गया)	49
उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन विधेयक, 1978 (पुरः स्थापित किया गया)	49–50
नत्थी	51–55

135253

H

U.P.L.A
Vol. 330
1978

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, 17 मार्च, 1978

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 12.30 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य (401)

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह,श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अठई राम,श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अली असगर हुसैन, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैद्य नाथ, श्री
अशफाक , श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी "राकेश" डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसामाईल, श्री
ईशदत्त यादव श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 पाइस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
औसान सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैयालाल गुप्त, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
कालीचरण, श्री
कासिम हसन, श्री
किशन लाल, श्री
किशन लाल दिलेर, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री

गंजी प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा,श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चन्द्रसेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल निर्भय, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री
जमुना प्रसाद,श्री
जयराम, श्री
जयशंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जसवीर सिंह, श्री
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी0 पी0 बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीना नाथ सेवक, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग विजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देव बहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धमगज सिंह, श्री
धर्म दत्त वैद्य, आचार्य
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री

उत्तर प्रदेश सभा

प्रदीप कुमार बजाज, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभु दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
फजलुर्रहमान अंसारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बच्चा पाठक, श्री
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बरफिया लाल जुआंठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भारत सिंह, श्री
भारत सिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मकबूल हुसैन खां, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शम्भू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मूल चन्द, ठाकुर
मैनेजर सिंह, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद उस्मान, श्री
मोहम्मद मसूद खां, श्री

मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव', श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज बहादुर यादव, श्री
राज बृजराज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
रामदत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लीलवत सिंह, श्री
वंश गोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नय्यर, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भू नाथ, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती

विधान सभा उत्तर प्रदेश

शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवराज सिंह, श्री
शिव लाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्यपाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बक्श रावत, श्री
सिया राम सागर, श्री
सुखदराज सिंह, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र कुमार कालरा, श्री 'सिन्ध'
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोनपाल, श्री (उर्फ सोहन लाल पिपल)
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकबल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—विद्युत् मंत्री श्री रवीन्द्र किशोर शाही तथा गन्ना विकास मंत्री श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण का श्री अध्यक्ष द्वारा आंशिक पाठ

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्यगण,

उत्तर प्रदेश का राज्यपाल होने के बाद यह पहला अवसर है कि आपको सम्बोधित कर रहा हूं । इस अवसर पर आप का हार्दिक स्वागत करता हूं । उत्तर प्रदेश राष्ट्र का हृदय है और मेरी यह कामना है कि यह उर्वरा भूमि अपने पूरे संसाधनों व सामर्थ्य का उपयोग करके दस करोड़ निवासियों का जीवन स्तर उठा कर देश को भी समृद्ध करेगी । हमारे प्रदेश की छियासी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है । मेरी सरकार का यह निर्णय

[श्री अध्यक्ष]
है कि "गांव की ओर चलो" प्रदेश के विकास की सही दिशा है । मेरी सरकार ने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आठ-नौ महीनों की अल्पावधि में जो कार्य किया है उससे प्रकट है कि वह अपने लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आगे बढ़ती जा रही है ।

इन शब्दों के साथ मैं आपको अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये आहूत करता हूं ।

(श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिये देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 51–55 पर)

विधान सभा सदस्य, श्री गंगा प्रसाद व श्री राम प्रताप शास्त्री तथा भूतपूर्व सदस्य, सर्वश्री गेंदा सिंह, मोहम्मद अब्दुस्समी, विशेश्वर दयाल सेठ, राम अधीन सिंह यादव, जमीलुर्रहमान किदवाई, गंगाधर शर्मा, एवं अशफाक अली खां के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)––

मान्यवर, इधर हमारे बीच से जो पहले इस विधान सभा के सदस्य रह चुके थे कुछ हमारे बीच से चल बसे हैं । वह हमारे बीच में नहीं रहे । उनमें श्री गंगा प्रसाद जी, श्री राम प्रताप शास्त्री, श्री गेंदा सिंह, श्री मोहम्मद अब्दुस्समी, श्री विशेश्वर दयाल सेठ, श्री राम अधीन सिंह यादव, श्री जमीलुर्रहमान किदवाई, श्री गंगा धर शर्मा तथा श्री अशफाक अली खां हैं ।

जहां तक श्री गंगा प्रसाद जी का सवाल है, अक्तूबर, 1917 में इन्होंने जन्म लिया था । 24–25 नवम्बर, 1977 की रात्रि में इनका देहावसान हो गया, हृदयगति के रुक जाने के कारण । इन्होंने बराबर 1932 से लेकर 1942 तक स्वाधीनता के आन्दोलन में भाग लिया और भाग लेने के परिणामस्वरूप कई बार जेल की यातनायें सहीं । समाज सेवा में उनका जीवन बीतता रहा और कई सार्वजनिक संस्थाओं में, बहुत ही उच्च कोटि के समाज सुधारक होने के नाते कुछ पदों पर रहे और सेवा करते रहे। इस तरह से जो उन्होंने सराहनीय कार्य गोण्डा जिले में किया, कुछ संस्थाओं के अध्यक्ष होने की हैसियत से, उनको चलाने की हैसियत से, उनके निधन से गोण्डा जनपद में एक बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है ।

श्री राम प्रताप जी शास्त्री, जो पिछले चुनाव में विधान सभा में चुनकर आए थे, वह इटावा जिले के सोरों विधान सभा क्षेत्र से आए थे । विधान सभा में आने से पहले उनका जीवन समाज सेवा में बीतता रहा है । वह वैद्य भी थे और जिस प्रकार से उन्होंने निरीह लोगों, गरीबों की सेवा की, वैद्यक के माध्यम से भी सेवा की, उनका लोग बहुत स्मरण करते हैं । उनके निधन से सचमुच में एटा जनपद में बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई है ।

इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मन्त्री एवं इस सदन के सदस्य श्री गेंदा सिंह, जिनके सम्बन्ध में पूरा सदन अच्छी तरह से जानता है, किस प्रकार उनका जीवन सघर्ष में बीतता रहा और विशेषकर पूर्वी जिलों की जो समस्यायें थीं और विशेषकर जो किसानों, गन्ना उत्पादकों की समस्या रही है विधान सभा के अन्दर और बाहर उठाते रहे हैं। आज उनके न रहने से, केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश वरन् पूरे उत्तर प्रदेश की बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है । वह संसद के सदस्य भी रहे हैं और प्रदेश में मन्त्री भी रहे हैं और जिस प्रकार समाज सेवा एवं जनकल्याण की भावना से प्रेरित होकर वह आन्दोलन और सघर्ष की राजनीति में आये और जन साधारण को सहायता पहुंचाने का प्रयास किया वह सराहनीय है और प्रेरणा देने वाला है । ऐसा लगता है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में समाज की सेवा की, विधान सभा में और संसद में उन्होंने अपनी आवाज बुलन्द की उस तरह की आवाज उठाने वाला कोई दिखायी नहीं पड़ता है । उनके निधन से हमारे प्रदेश और उस जनपद की बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है ।

इसी प्रकार श्री मोहम्मद अब्दुस्समी जो सुल्तानपुर जनपद के भूतपूर्व सदस्य थे उनका 12 अगस्त, 1977 को 72 वर्ष की अवस्था में इन्तकाल हो गया । वह 1957 से चुने जाते रहे और कई बार चुने गए । वे 1962 में चुने गए, उसी क्षेत्र से फिर चुने गए। इस प्रकार 1957 से 1967 तक इस सदन के सदस्य रहे । उन्होंने 1940 से 1944 के मध्य स्वाधीनता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के आन्दोलन में भाग लिया और उस समय में बहुत कड़ी यातनायें सहन कीं। आज वह भी हमारे बीच में नहीं हैं।

श्री विशेश्वर दयाल सेठ का निधन गत 8 दिसम्बर, 1977 को कैसरबाग, लखनऊ स्थित उनके निवास स्थान पर 79 वर्ष की अवस्था में हो गया। इनका जन्म 1899 में एक ताल्लुकेदार परिवार में हुआ था। वह 1937 से लेकर 1939 तक की विधान सभा के सदस्य थे। वे लन्दन में हुई प्रथम गोल मेज सभा में सम्मिलित हुए थे और 1941 से 1947 तक वे लखनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति रहे। वे पाइनियर एवं स्वतन्त्र भारत समाचार पत्रों के वर्ष 1947 से 1951 तक प्रबन्ध निदेशक थे। उनकी भूमिका पत्रकार जगत में स्तुत्य रही है।

स्वर्गीय चौधरी राम अधीन सिंह यादव की मृत्यु 19 दिसम्बर, 1977 को 4 बजे सायंकाल हृदयगति रुक जाने के कारण 62 वर्ष की अवस्था में हो गयी। इनका जन्म 1915 में बिन्दाखेरा, जिला उन्नाव में हुआ था। इन्होंने अपने बाल्यकाल से ही जन सेवा की ओर ध्यान दिया और शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् जब वह राजनीति में आए तो वह 1952 में इस सदन के सदस्य चुनकर आए। वर्ष 1967 में वे पुनः चुने गए। वह स्वतंत्रता आन्दोलन में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलते रहे और कई बार जेल यातनायें भोगीं। उनका सामाजिक जीवन बड़ा ही प्रेरणादायक रहा है। उनके न रहने के कारण बहुत बड़ी क्षति हुई है।

स्वर्गीय जमीलुर्रहमान किदवाई का देहान्त 3 जनवरी, 1978 को प्रातः 3 बजे हृदय-गति रुक जाने के कारण 75 वर्ष की अवस्था में हो गया। इनका जन्म 1902 में जिला बारा-बंकी में हुआ था। इन्होंने अपना जीवन राजनीति में एवं जनसेवा में व्यतीत किया। 1948 में प्रथम बार विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। उसके बाद वे विधान परिषद् के भी सदस्य रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के नाते उनको कई बार जेल जाना पड़ा। उनका अनेक शिक्षा संस्थाओं से गहरा सम्बन्ध था। उनकी राजनैतिक एवं सामाजिक सेवायें सराह-नीय रही हैं।

स्वर्गीय श्री गंगाधर शर्मा का 4 जनवरी, 1978 को 85 वर्ष की अवस्था में स्वर्गवास हो गया। वे 1952 से 1957 तक विधान सभा के सदस्य रहे। वे जनपद सीतापुर से चुन कर आए थे। स्वतन्त्रता संग्राम के सिलसिले में उन्हें सन् 1930, 1932 व 1941 में कई बार जेल जाना पड़ा। 1916 में जो लखनऊ में कांग्रेस सम्मेलन हुआ था वह सीतापुर से प्रतिनिधि होकर आए थे। उन्होंने सामाजिक सेवा में सक्रिय भाग लिया और राजनीति में भी सक्रिय कार्य किया। उनके निधन से अपूर्णीय क्षति हुई।

स्वर्गीय अशफाक अली खां की हत्या दिनांक 17–18 दिसम्बर की रात्रि को कुछ बदमाशों के द्वारा कर दी गयी। उनकी आयु लगभग 50 वर्ष की थी। वे शाहजहांपुर जनपद से इस सदन के भूतपूर्व सदस्य थे उनके निधन से अपूर्णीय क्षति हुई है।

हम चाहते हैं कि जो हमारी श्रद्धांजलियां और समवेदनाएं हैं वह उनके परिवार तक भेज दी जायें। यही मुझे कहना था।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, इस सदन का दुखद कर्तव्य हो जाता है कि समय-समय पर जिन विभूतियों ने इस सदन की शोभा बढ़ाई है उनके निधन होने की दशा में हम अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री नारायण दत्त तिवारी]—

अर्पित करें। हमारी वर्तमान विधान सभा के 2 माननीय सदस्य और 7 भूतपूर्व सदस्यों के निधन के सम्बन्ध में माननीय नेता सदन ने जो शोक प्रस्ताव रखा है मैं उसका अनुमोदन करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। माननीय गंगा प्रसाद जी न केवल गोन्डा जनपद के नेता थे बल्कि निर्बल वर्ग के प्रतिनिधि थे और 1952 से लेकर जब कभी विधान सभा में कोई प्रश्न आया तो अपनी कड़कती हुई आवाज में निर्बल वर्ग की आवाज उठाते रहे। जब वे बीमार पड़े तो डाक्टरों ने कहा कि आप विश्राम करें लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य का मार्ग नहीं छोड़ा और जन सेवा में लगे रहे। मैंने भी उनसे कहा था कि वे विश्राम करें लेकिन वह अनवरत चेष्टा-शील रहे और सामाजिक सेवा करते रहे।

इसी प्रकार राम प्रताप शास्त्री का भी जीवन रहा। सोरों की जो उन्होंने सेवा की है वह चिरकाल तक स्मरण की जावेगी। उनसे बातचीत करने से उनके गांधीवादी विचार स्पष्ट, निर्भीक, दृढ़ लेकिन भावनाओं से और विचारों से संतुलित होने का आभास मिलता था। ऐसे व्यक्तित्व वाले शास्त्री जी का निधन हुआ। आज उनके न होने से हम अपने को निर्बल पाते हैं। वे केवल एक चिकित्सक ही नहीं वरन् शिक्षाविद् और समाज सेवी भी थे। न केवल आज एटा जनपद व आगरा मण्डल का, बल्कि प्रदेश का, सार्वजनिक जीवन उनके न रहने से निर्धन हुआ है।

माननीय गेंदा सिंह जी के बारें में माननीय नेता सदन ने जो विचार व्यक्त किए है, उनसे अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी श्रद्धांजलि के सुमन अर्पित करता हूं। उनका जीवन-संघर्ष का एक इतिहास था और वे एक आदर्श नेता और कार्यकर्ता रहे है। जो भी उनके सम्पर्क में आया उनके जीवन में चमत्कृत और अनुप्राणित हो जाता था उनमें काम करने की अनोखी कला थी और वे करोड़ों लोगों के नेता थे। 1952 से वे यहां पर आए थे और तब से पार्लियामेन्टेरियन के रूप में उनका चरित्र निखरा। जब यहां पर डाक्टर सम्पूर्णा नन्द मुख्य मन्त्री थे तो वे नेता विरोधी दल भी रहें। माननीय गुप्ता जी और माननीया सुचेता कृपलानी जी के समय में उन्होंने कृषि मन्त्री और सूचना मन्त्री के रूप में सेवायें की और निर्भीक होकर सेवायें कीं। सिद्धांतों के प्रश्न को लेकर उन्होंने त्याग-पत्र भी दिया। संसद सदस्य के रूप में भी जो उन्होंने कार्य किये, वे चिरस्मरणीय रहेंगे।

जब नासिक अधिवेशन में सोशलिस्ट पार्टी कांग्रेस से अलग हुई तो वे भी अलग हुए। बाद में अशोक मेहता के साथ कांग्रेस में सम्मिलित हुए और तब से कांग्रेस में समाजवादी आन्दोलन का नेतृत्व किया। जैसा माननीय नेता सदन ने बताया उन्होंने गन्ना किसानों की समस्याओं के सम्बन्ध में प्रश्न उठाए जो चिरस्मरणीय रहेंगे। गन्ने और चीनी के मामले में वे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति के माने हुए विशेषज्ञ थे और करोड़ों गन्ने के किसान अपने प्रदेश के ही नहीं बल्कि देश के भी, उनको अपना नेता मानते थे और उनसे मार्ग दर्शन भी प्राप्त करते थे। उन्होंने जीवन भर इस प्रकार संघर्ष किया उच्च आत्मबल से वे यहां भी मृत्यु से लड़ते रहें और मृत्यु से लड़ने की हमको प्रेरणा दी। मैं नेता सदन से पूर्ण सहमत हूं और उनकी स्मृति में हार्दिकतम संवेदना और श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित करना चाहता हूं। आप से प्रार्थना है कि उनके सन्तप्त परिवार को संवेदना भेजने की कृपा करेंगे।

जहां तक श्री मोहम्मद अब्दुस्समी का सम्बन्ध है उनके निधन से न केवल सुल्तानपुर बल्कि पूर्वी अंचल की क्षति हुई है। वे दो बार उसी निर्वाचन क्षेत्र से चुन गये। बड़ा सरल उनका जीवन था और बुनकरों और क्षेत्रीय समस्याओं को अपने ढंग से यहां पर रखा करते थे। वे साम्प्रदायिक एकता के प्रतीक थे। श्री समी के निधन से न केवल सुल्तानपुर बल्कि सार्वजनिक जीवन में बड़ी रिक्तता आ गयी है, जिसकी पूर्ति करना बड़ा मुश्किल हो गया है।

जहां तक श्री विशेश्वर दयाल सेठ का सम्बन्ध है उन्होंने अंग्रेजों के जमाने में भी संघर्ष किया था और एक ताल्लुकेदार परिवार में जन्म लेकर अपने ढंग से अंग्रेजों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश की और वे उस समय विधायक रहे जब कि हमारे देश में गांधी जी के नेतृत्व में आजादी के लिए संघर्ष हो रहा था । उन्होंने सीतापुर जनपद और अवध की विशेष रूप से सेवायें कीं । शिक्षा क्षेत्र में भी उनकी सेवायें रहीं । "पायोनियर" और "स्वतन्त्र भारत" पत्रों के निर्माण में उनका बड़ा योगदान रहा । "पायोनियर" अखबार जो पायोनियर के रूप में सेवा करता रहा उसमें सेठ जी का बड़ा योगदान रहा ताकि वह अच्छी तरह से चल सके और इस वजह से हम उनकी सेवाओं का विशेष रूप में स्मरण करते हैं कि उन्होंने इन दो अखबारों के चलाने में इस तरह से भाग लिया ।

श्री रामअधीन सिंह यादव जी का मुस्कराता हुआ गम्भीर चेहरा हमें याद आता है । वह उन्नाव जिले के नेता थे और निर्बल पिछड़े वर्ग की हमेशा आवाज उठाते रहें । वह किसान आन्दोलन के सृजनकर्ता थे और हरिजन सेवक संघ के भी नेता रहें । उनके निधन से भी उन्नाव जनपद के जीवन में और हमारें जीवन में रिक्तता आयी ।

जमीलुर्रहमान किदवाई अपनी पीढ़ी के प्रतीक थे और साम्प्रदायिक एकता के प्रतीक थे और रफी अहमद किदवाई की परम्पराओं के मुताबिक चलते रहें । उन्होंने सदैव साम्प्रदायिकता का मुकाबला किया और बाराबंकी जनपद में और उस जनपद के बाहर भी मुस्लिम-लीग से उन्होंने बराबर टक्कर ली, वे साम्प्रदायिक भावनाओं से टक्कर लेते रहें । वह प्रखर राष्ट्रवादी रहे और सहकारिता आन्दोलन में भाग लेते रहें । वह विधान सभा और विधान परिषद के सदस्य रहे और बहुत सी शिक्षा संस्थाओं को उन्होंने जन्म दिया । श्री जमीलुर्रहमान किदवाई के निधन पर हम हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते है कि एक प्रखर राष्ट्र सेवक और साम्प्रदायिकता से लड़ने वाला हमारें बीच से उठ गया ।

श्री गंगाधर शर्मा जी के सम्बन्ध में जो नेता सदन ने कहा कि किस प्रकार से उनका जीवन प्रेरणादायक रहा और किस प्रकार के वह सजग कार्यकर्ता थे । 85 वर्ष की अवस्था में उनका निधन हुआ और फिर भी वह लगातार कार्यक्रमों में भाग लेते रहे । वह 'आर्य-मित्र' के सम्पादक थे । उनकी शान्ति मूर्ति हमें याद आती है कि किसी को क्रोध भी आया हुआ हो तो उनका दिव्य दर्शन करके गुस्सा तुरन्त शान्त हो जाता था, यह विशेषता उनके-जीवन की थी । वह गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे, बल्कि प्रखर गांधीवादी थे ।

अशफाक अली खां की बड़ी दुखद मृत्यु हुई । कुछ बदमाशों द्वारा उनकी हत्या कर दी गयी । वह शाहजहांपुर से निर्दलीय सदस्य थे और वहां के जनपद के प्रमुख नेता थे । उन्होंने विद्यार्थी आन्दोलन में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भाग लिया और शाहजहांपुर के प्रमुख वकील थे । शाहजहांपुर के सार्वजनिक जीवन में उनकी मृत्यु से जो रिक्तता आई है उसकी पूर्ति करना कठिन है ।

मैं नेता सदन की भांति आप से आग्रह करूंगा कि हमारी सब की हार्दिक श्रद्धांजलि और संवेदना उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें ।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

यह बड़ी दुखद बात है कि हर सत्र की शुरूआत में हमें इस प्रकार की अनेक संवेदनाएं व्यक्त करनी पड़ती हैं । इस बारे भी हमारे 9 नेताओं के सम्बन्ध में हमें श्रद्धांजलि अर्पित करनी है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री श्याम धर मिश्र]—

माननीय नेता सदन तथा माननीय श्री तिवारी जी ने जो बातें कही है उनमें मैं अपनी भावनाएं प्रस्तुत करता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय गेंदा सिंह जी से मेरा निजी परिचय था। जब वे यहां थे तब भी और जब संसद में थे उस समय भी था। जिस समय वे यहां मन्त्री थे तो मैं मन्त्री था और जब वह संसद में थे, मैं भी संसद में था और मैं उनको न केवल मन्त्री के नाते और संसद सदस्य के नाते जानता था बल्कि यदि उनके कार्यों को जो उन्होंने किसानों के लिए किए और जो कृषि के सम्बन्ध में किये उनको देखा जाय तो यह कहा जा सकता है कि ऐसा किसान मन्त्री उत्तर प्रदेश में शायद अभी आगे ढूंढना पड़ेगा।

श्री गंगा प्रसाद जी, गोण्डा और श्री राम प्रताप शास्त्री जी, एटा, इसी विधान सभा के सदस्य रहे हैं। मैं इसी सत्र से उनका अभाव महसूस कर रहा हूं। जहां तक इनके कार्यों का सम्बन्ध है, माननीय नेता सदन और माननीय तिवारी जी ने अभी जो कुछ कहा उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। मोहम्मद अब्दुस्समी, चौधरी राम अधीन सिंह यादव, श्री गंगाधर शर्मा तथा श्री विशेश्वर दयाल सेठ, अशफाक अली खां और श्री जमीलुर्रहमान किदवाई के सम्बन्ध में भी मैं अपनी और अपने दल की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। कांग्रेस की ओर से और अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हमारी संवेदना आप उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, अभी माननीय नेता सदन, माननीय तिवारी जी तथा माननीय मिश्रा जी ने जो श्रद्धांजलि दिवंगत आत्माओं के प्रति व्यक्त की है उसके साथ मैं भी अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। इनमें से कुछ महानुभावों के साथ तो मेरा व्यक्तिगत सम्पर्क रहा है, व्यक्तिगत परिचय रहा है और व्यक्तिगत तरीके से मैं उनको जानता रहा हूं। श्री गेंदा सिंह जी, श्री जमीलुर्रहमान किदवाई, गंगा प्रसाद को तो मैं बहुत ही नजदीक से जानता हूं और बहुत अर्से से जानता रहा हूं। इन लोगों के निधन से जो क्षति हुई है उसकी पूर्ति होने वाली नहीं है। जैसा कि हमारे अन्य लोगों ने कहा, इस सदन में यह पहला मौका है जब कि हम एक साथ 9 माननीय नेताओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे है। हम सब के लिए यह बहुत ही दुखद बात है। इन सभी के लिए हम अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते है और आप से अनुरोध है कि हमारी भावनायें आप उन सभी के सन्तप्त परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—

अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा ही दुख का विषय है कि हम अपने प्रदेश के 9 प्रमुख और कर्मठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। श्री गेंदा सिंह जी हमारे प्रदेश के बड़े पुराने नेता थे। पूर्वी अंचल में तो जन-जन के हृदयों में उनके प्रति अटूट श्रद्धा थी। जिस कार्य को भी उन्होंने किया, बड़ी खूबी के साथ किया। गन्ना किसानों के तो वे प्रदेश भर के नेता थे। जब कभी कोई उनकी मीटिंग होती थी तो लोग उनको गेंदा सिंह जी न कहकर गन्ना सिंह कहा करते थे। ऐसे नेता के निधन से हमारे प्रदेश की बड़ी ही क्षति हुई है। हमारी और हमारे दल की संवेदना उनके सन्तप्त परिवार तक भेजने की कृपा करें।

श्रीमन्, दो विधान सभा के सदस्य, श्री गंगा प्रसाद जी तथा श्री राम प्रताप शास्त्री, दोनों ही बड़े अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता थे। श्री गंगा प्रसाद से मेरा व्यक्तिगत सम्बन्ध सन् 1952

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से ही रहा है। सन् 1952 से ही वे इस विधान सभा के सदस्य रहे। विधान सभा में सदा ही वे हरिजन तथा निर्बल वर्ग की बात उठाया करते थे। उनकी भलाई के लिए व सदा लड़ते रहे। जिलों में भी उनके लिए वे सदा संघर्ष करते रहते थे। उनके निधन से प्रदेश को बड़ी क्षति पहुंची है।

श्री जमीलुर्रहमान किदवाई भी उस परिवार से आते हैं जिसकी सेवा किदवाई परिवार से कभी भुलाई नहीं जा सकती। इस देश क लिए उनकी सेवायें सदा ही महान रही ह। मैं उनको भी व्यक्तिगत रूप से जानता था। उनका हृदय और वाणी इतनी मधुर थी कि सहज ही में वे अपनी बात का प्रभाव अपने मित्रों तथा जनता पर डाल देते थे। यह एक आदर्श की बात थी। उनका जीवन हमारे लिए एक बहुत ही आदर्शपूर्ण रहा। श्री गंगाधर शर्मा जी सन् 1952 में विधान सभा के सदस्य थे। एक बहुत ही अच्छे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे। ये सच को सच और झूठ को झूठ कहने वाले महान पुरुष थे। कभी उन्होंने कांग्रेस की मीटिंग में बैठकर चापलूसी वाली बात नहीं कही, सच को सच हमेशा कहा। ऐसे हमारे साथी आज प्रदेश में नहीं रहे। दूसरे हमारे साथी मोहम्मद अब्दुस्समी, अशफाक अली खां, इन सब के प्रति जो विचार हमारे नेता सदन ने, हमारे तिवारी जी ने, मिश्रा जी ने और हमारे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता ने यहां पर रखे है, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपसे हम निवेदन करते है कि हमारी संवेदनाएं तथा श्रद्धांजलि उनके सन्तप्त परिवार को आप भेज दें।

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)—

माननीय नेता सदन और अन्य जो माननीय सदस्यों ने उन दिवंगत आत्माओं के प्रति अपने जो विचार व्यक्त किये, उनसे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। उन दिवंगत आत्माओं के प्रति अपने और अपने दल की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुझे बाबू गेंदा सिंह की याद आ रही है। मैं उन्हीं की छत्र-छाया में यहां पर राजनीति में आया था। वे राजनीति के खेमें में ऐसे व्यक्ति थे, उनके सामने एक लक्ष्य था कि प्रदेश की किसान जनता तथा निर्बल वर्ग की स्थिति कैसे मजबूत हो। जब वह कृषि मन्त्री हुए, कैबिनेट में आए, तब मैं उनसे मिलने गया, सूखा पड़ा हुआ था, मुझे याद है। उनसे जब मेरी बातें हुई, उन्होंने जो शब्द कहा था वह मुझे याद हैं। उन्होंने कहा था कि भगवती मूड़ का मुड़ाना, पत्थर का पड़ना, वह शब्द याद हैं। कितनी टीस थी उनके दिल में किसानों के प्रति, वह कहा नहीं जा सकता है, वह उनकी आत्मा के साथ गया। अन्त तक वह चाहे किसी भी दल में रहे, कांग्रेस में रहे, तब भी उनका रोल, व्यवहार लोगों के प्रति सर्वोपरि था। उनसे जो प्रेरणा हम लोगों को मिली है, वह सर्वोपरि रही है। उत्तर प्रदेश की किसान जनता में हमेशा उनकी याद रहेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपने दल और अपनी ओर से आप से अर्ज करूंगा कि इस शोक प्रस्ताव को उनके सन्तप्त परिवार को भेज दें।

श्री अध्यक्ष—

यह सदन का दुखपूर्ण कर्तव्य है कि इस प्रदेश के 9 दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि पेश करे। यह भी अत्यन्त दुखपूर्ण बात है कि इस समय माननीय सदस्य, श्री गंगा प्रसाद और राम प्रताप शास्त्री हमारे बीच में नहीं रहे हैं। श्री गंगा प्रसाद से सन, 1946 में पहली बार जब वह विधान सभा में निर्वाचित हुए, मेरा परिचय हुआ। उसके बाद से बराबर उनके सम्पर्क में रहा। वह बड़े तेजस्वी और बड़े उत्साही कार्यकर्ता थे और सदा पिछड़ी जाति और परिगणित जाति के उत्थान के लिये तथा प्रगतिशील कार्यों के लिये प्रयत्नशील रहे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अध्यक्ष]—

श्री राम प्रताप शास्त्री एटा के प्रसिद्ध सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और एक राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वह बड़े ही सौम्य प्रकृति के व्यक्ति थे। जब मैं अन्तिम बार उनसे मिला, मुझे यह आशा नहीं थी कि वह फिर नहीं मिलेंगे।

श्री गेंदासिंह का सम्बन्ध किसान और स्वतन्त्रता आन्दोलन से सन् 20–21 से रहा और बराबर करीब आज से 45 साल पहले मेरा उनसे सम्पर्क हुआ। सन् 1952 में वह पहली मर्तबा समाजवादी सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। सन 1964 में मुख्य मंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी की सरकार में श्री गेंदा सिंह जी कृषि मंत्री थे और उनका सहयोगी होने का सौभाग्य मुझको भी प्राप्त हुआ था। वह बराबर गन्ने की समस्याओं से अपने को लगाए रहते थे और पूर्वी जिलों की गरीबी से वह सदा चिंतित रहते थे और बराबर आन्दोलन करते थे और सरकार का ध्यान आकर्षित करते थे। जब अन्तिम बार मैं उनसे बलरामपुर अस्पताल में मिला तो उस वक्त बड़े दुखपूर्ण शब्दों में उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं रहूंगा। मैं आपके द्वारा चाहता हूं कि इस प्रदेश की जो गन्ने की मिलें हैं उनका राष्ट्रीयकरण किया जाय और गन्ने के सम्बन्ध में जो समस्यायें हैं उनका समाधान किया जाय। तो अन्तिम सांस रहने तक गन्ने की समस्याओं से उनका मस्तिष्क पीड़ित रहा था।

श्री राम अधीन सिंह यादव भी इस सदन के सदस्य थे। उनसे भी मेरा घनिष्ट परिचय रहा। कई मर्तबा उनके क्षेत्र में जाने का अवसर मिला।

श्री जमील साहब उस जमाने में जब मुसलमानों में राष्ट्रीयता का नाम लेना स्वतन्त्रता की बात करना अपराध समझा जाता था तब बड़े गांव का उनका ऐसा परिवार था जो हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन में सबसे आगे था जमील साहब, शफीक साहब और उनके परिवार के लोग इस आन्दोलन में थे। यहीं नहीं कई मर्तबा महात्मा गांधी द्वारा संचालित स्वतन्त्रता आन्दोलन में वह जेल गए। वह इस सदन के सदस्य भी रहे। उनको साम्प्रदायिकता छू तक नहीं गयी थी। उन्होंने भारत की एकता, अखण्डता और भारत की स्वतन्त्रता के लिये जो प्रयास किया वास्तव में वह चिर-स्मरणीय और संस्तुतीय है।

मौलवी अब्दुस्समी सुल्तानपुर जनपद के थे। जमाअते उलमाए हिन्द और उस समय की कांग्रेस से उनका घनिष्ट सम्बन्ध रहा और वह बराबर मुस्लिम लीग के खिलाफ लड़ते रहे, वह दो बार इस सदन के सदस्य रहे। वह बड़े निस्पृह और सरल व्यक्ति थे।

श्री अशफाक अली का जन्म शाहजहांपुर में हुआ था। उनका निधन अत्यन्त दुखदपूर्ण घटना में हुआ। उनके घर में डकैती पड़ी जिसमें वह और उनके एक सम्बन्धी मारे गए। यह ठीक है कि पुलिस ने तत्परता से उन डकैतों को पकड़ा, माल भी मिल गया, लेकिन अशफाक साहब हमारे बीच में नहीं रहे।

श्री विशेश्वर दयाल सेठ का जन्म 19वीं शताब्दी में एक ताल्लुकेदार परिवार में हुआ। सन, 1935 के विधान के अनुसार ब्रिटिश इंडिया ऐसोसिएशन का वह प्रतिनिधित्व करते थे। इस सदन में सन, 1937 में वह निर्वाचित होकर आए थे तब उनसे मेरा सम्पर्क हुआ था। वह लनऊ विश्वविद्यालय के उपकुलपति भी रहे। सन, 1931 में गोल मेज कांन्फ्रेस में वह प्रतिनिधि रहे। उस वक्त के प्रमुख श्री चिन्तामणि और जयकर साहब आदि के विचारों के वह समर्थक थे। आज परिपक्व आयु में वह हमारे बीच नहीं रहे। किन्तु उनकी स्मृति हमारे बीच है।

श्री गंगाधर शर्मा बड़े वयोवृद्ध कार्यकर्ता थे। उनका समस्त जीवन स्वतन्त्रता संग्राम, सामाजिक आन्दोलन और सामाजिक क्रान्ति के अन्दर रहा जैसा कि अभी श्री नारायण दत्त तिवारी ने कहा। वह अत्यन्त मधुरभाषी, सरल स्वभाव के व्यक्ति थे।

इन सब के निधन से हमारे प्रदेश की बड़ी हानि हुई है। जो शोक प्रस्ताव माननीय नेता, सदन ने रखा है और जिसका समर्थन माननीय तिवारी, श्यामधर मिश्र, ऊदल, जगन्नाथ और भगवती प्रसाद जी ने किया है मैं भी उसका पूर्णतः अनुमोदन करता हूं और आप लोगों की भावनायें उनके सन्तप्त परिवार तक पहुंचा दी जायेंगी। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि उनकी स्मृति में सम्मान प्रकट करने के लिये दो मिनट मौन खड़े हों।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिये अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए।)

विविध विषय

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)---

मान्यवर, मैं विशेषाधिकार की सूचना देना चाहता हूं जो कि सदन के अन्दर हुई है।

श्री अध्यक्ष---

अभी नहीं। आप उसको लिखकर दे दें।

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

मैं प्रश्न नहीं उपस्थित कर रहा हूं। केवल सूचना देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष---

जब विशेषाधिकार की सूचना का नम्बर आयेगा तब कहें। अभी नहीं।

(श्री नारायण दत्त तिवारी के खड़े होने पर तथा कई सदस्यों के कुछ कहने पर)

(शोर)

आप लोग शांत रहें मैंने शिक्षा मंत्री को बुलाया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

मान्यवर, जो राज्यपाल जी के अभिभाषण के समय में हुआ।

(व्यवधान)।

अनेक सदस्य---तिवारी जी आप बैठें।

श्री अध्यक्ष---

आप सब लोग बैठ जायं। माननीय तिवारी जी बैठ जायं। मैं शिक्षा मंत्री को बुला चुका हूं।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)---

तिवारी जी, आप बैठ जायं। शर्म आती है।

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

मान्यवर, इस सदन में इस बात की घोषणा होनी चाहिये कि नाराणयदत्त तिवारी विरोधी पक्ष के नेता इस समय नहीं हैं। आप केवल इंदिरा कांग्रेस जो कि छोटा दल है उसी के नेता हैं। इसकी घोषणा सदन के पटल पर हो जानी चाहिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मेरा निवेदन है.....।

श्री अध्यक्ष--

तिवारी जी, मैं आपको इजाजत नहीं देता हूं। मान सिंह जी आप भी बैठ जायं।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मेरा आपसे आग्रह होगा कि.....

श्री रामजी (जिला आजमगढ़)--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि बार-बार नारायण दत्त तिवारी व्यवधान उपस्थित कर रहे हैं। इन्होंने असामाजिक तत्वों की जमात खड़ा करके आज यहां हंगामा खड़ा किया था। ऐसे लोगों को सदन से निकाल दिया जाय।

एक सदस्य--

मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप लोग बैठें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

प्रजातंत्र में इजाजत नहीं दी गयी.....

(व्यवधान)

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

नारायण दत्त जी [×××] कर रहें हैं। इनका यह संसदीय आचरण नहीं है।

(व्यवधान)

(श्री नारायण दत्त तिवारी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये।)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश 1977†

शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1977 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1977†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1977 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधियों का संशोधन अध्यादेश, 1977†

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधियों का संशोधन अध्यादेश, 1977 को सदन के पटल पर रखता हूं।

नोट :--[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथा समय संदाय) अध्यादेश, 1977†

श्रम मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथा समय संदाय) अध्यादेश, 1977 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1977†

कृषि मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मंडी विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1977 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) अध्यादेश, 1977†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास संशोधन) अध्यादेश, 1977 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1977†

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरीनाथ त्रिपाठी)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश कराधान विधि (संशोधन और वैधीकरण) अध्यादेश, 1977 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1977†

श्रम मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1977 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन अध्यादेश, 1978†

श्रम मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन अध्यादेश, 1978 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1977 †

आबकारी मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अलकोहल बिक्री कराधान (संशोधन) अध्यादेश, 1977 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन), अध्यादेश, 1978†

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह) ---

अध्यक्ष महोदय, म आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1978 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश इण्टरमीडिएट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1978†

शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश इण्टरमीडियेट शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1978 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1978†

आबकारी मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आबकारी (संशोधन) अध्यादेश, 1978 को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश आबकारी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1978†

आबकारी मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)—

अध्यक्ष महोदय मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश आबकारी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 1978 को सदन के पटल पर रखता हूं।

आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1978†

खाद्य मंत्री (श्री हरिशचन्द्र)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1978 को सदन के पटल पर रखता हूं।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1978†

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1978 को सदन के पटल पर रखता हूं।

वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां††

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी) :—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्रीकर) अनुभाग-2 की दिनांक 1 अक्तूबर, 1977 के असाधारण गजट में प्रकाशित निम्नलिखित विज्ञप्तियां :—

(1) संख्या एस0 टी0 दो-7040/दस-8 (17) 76, उ0 प्र0 अधि0 15/48-आदेश 77, दिनांक 30 सितम्बर, 1977,

(2) संख्या एस0टी0 दो-7218/दस-6(43) 77, उ0 प्र0 अधि0 15/48-आदेश 77, दिनांक 30 सितम्बर, 1977,

(3) संख्या एस0 टी0 दो-7219/दस-6(43)-77 उ0 प्र0 अधि0 15/48-आदेश 77, दिनांक 30 सितम्बर, 1977,

(4) संख्या एस0 टी0 दो-7211/दस-6(10)-76, उ0 प्र0 अधि0 15/48-आदेश 77, दिनांक 30 सितम्बर, 1977,

---

†छापा नहीं गया।
††छापी नहीं गयी।

(5) संख्या एस0टी0–दो 7212/दस ·6 (10) –76, उ0प्र0 अधि0 15/48 आदेश 77, दिनांक 30 सितम्बर, 1977,

(6) संख्या एस0टी0–दो 7213/दस –6(10) –76, उ0 प्र0 अधि0 15/48 आदेश 77, दिनांक 30 सितम्बर, 1977,

(7) संख्या एस0टी0–दो –5784/दस –9(21) –74, उ0 प्र0अधि0 15/48 आदेश 77, दिनांक 30 सितम्बर, 1977,

(8) संख्या एस0 टी0-दो-5787/ दस –9(21)–74, उ0 प्र0 अधि0 15/48 आदेश 77, दिनांक 30 सितम्बर, 1977,

(9) संख्या एस0 टी0–दो–7245/दस –9 (21) –74, उ0 प्र0अधि0 15/49 आदेश 77, दिनांक 30 सितम्बर, 1977

को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 की धारा 3–च की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा (पांचवां संशोधन) नियमावली, 1977†

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री जमुना प्रसाद)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से पंचायती राज अनुभाग –2 की अधिसूचना सं0 यू0 ओ0 186–डी/33–उ0 प्र0अ0–33–1961–नियम 1970–संशो0 (5)-77, दिनांक 12 अक्तूबर, 1977 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा (पांचवा संशोधन) नियमावली 1977, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 237 (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

पंचायती वन नियमावली, 1976†

वन मंत्री (श्री श्रीचन्द्र)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वन अनुभाग –2 की अधिसूचना संख्या 6589/14–2–302– 64, दिनांक 19 जुलाई, 1976 में प्रकाशित पंचायती वन नियमावली, 1976 को इंडियन फारेस्ट ऐक्ट, 1927 की धारा 78 की उपधारा (2) के अनुसार दिनांक 20 दिसम्बर, 1976 को विधान सभा के पटल पर रखी गयी थी और जिसके सदन के पटल पर रखे रहने की निर्दिष्ट कालावधि सदन के विघटन हो जाने के कारण पूरी नहीं हुई, को पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना तथा कार्य करने के सम्बन्ध में कठिनाइयों को दूर करना) (पंचम) आदेश, 1977††

कृषि मंत्री (राजेन्द्र सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कृषि अनुभाग –8 की अधिसूचना सं0 3172/ 12–8–700(19) –76, दिनांक 2 नवम्बर, 1977 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय की स्थापना तथा कार्य करने के संबंध में कठिनाइयों को दूर करना) (पंचम) आदेश, 1977 को उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (पुनः अधिनियमन तथा संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 28 (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।
††छापा नहीं गया।

चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम †

कृषि मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से कृषि अनुभाग–2 की अधिसूचना सं0 5071/12–8–400 (2)/76, दिनांक 15 सितम्बर, 1976 में प्रकाशित चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं औद्योगिक विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम को उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक अधिनियम, 1958 की धारा 29 (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1977 के अनुसमर्थनार्थ राज्य सभा सचिवालय द्वारा विधान सभा सचिवालय को प्राप्त पत्र एवं तद्विषयक कार्यवाही††

सचिव, विधान सभा—

संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (चवालीसवां संशोधन) विधेयक, 1977 द्वारा भारत के संविधान में किये जाने के लिये प्रस्तावित उन संशोधनों को जो संविधान के अनुच्छेद 368 के खण्ड (2) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थित करने के संबंध में राज्य सभा सचिवालय से विधान सभा सचिवालय को प्राप्त पत्र को उक्त विधेयक एवं तद्विषयक संसद की कार्यवाहियों की प्रतिलिपि सहित, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमावली के नियम 182(1) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1977

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1977 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 अक्तूबर, 1977 के उपवेशन में पारित किया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 17 अक्तूबर, 1977 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 अक्तूबर, 1977 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1977 का उत्तर प्रदेश का 16 वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधयक, 1977

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1977 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 5 अक्तूबर, 1977 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 12 अक्तूबर, 1977 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 22 अक्तूबर, 1977 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1977 का उत्तर प्रदेश का 17वां अधिनियम बन गया।

दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1977

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं घोषणा करता हूं कि दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1977 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 सितम्बर, 1977

---

†छापे नहीं गये।
††छापी नहीं गयी।

के उपवेशन में पारित किया गया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 21 सितम्बर, 1977 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 2 नवम्बर, 1977 को प्राप्त हो गई है और वह सन्, 1977 का उत्तर प्रदेश का 18 वां अधिनियम बन गया।

सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई के सम्बन्ध में सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

विधान सभा के विगत अधिवेशन के पश्चात् प्राप्त निम्नलिखित माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई इत्यादि संबंधी सूचनायें सम्बन्धित अधिकारियों से प्राप्त हुई, जिसकी सूचना बुलेटिन 12 से 15 द्वारा माननीय सदस्यों को प्रसारित की जा चुकी है।

1—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा (बांदा)

2—श्री चन्द्र सेन सिंह (जौनपुर)

3—श्री सुरेन्द्र कुमार कालरा 'सिन्धु' (आगरा)।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर व्यवधान उत्पन्न करने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं सूचना देना चाहता हूं विशेषाधिकार भंग की, संविधान के अपमान की और संसदीय परम्परा के हनन की। आज जब विधान मंडल का संयुक्त अधिवेशन प्रारम्भ हुआ और प्रदेश के राज्यपाल महोदय अपना संदेश जब संयुक्त अधिवेशन को देने लगे तो उस समय कुछ माननीय सदस्यों ने जिनमें श्री सुन्दर लाल दीक्षित, श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा और श्री अरुण कुमार प्रमुख रूप से थे राज्यपाल महोदय के सम्मुख पहुंच गये और पहुंच करके उन्हें भाषण पढ़ने से रोका उनका इस प्रकार भाषण पढ़ने से रोकना संसदीय आचरण के विरुद्ध ही नहीं है बल्कि जो माननीय सदस्य यहां पर बैठकर माननीय राज्यपाल महोदय के भाषण को सुनना चाहते थे उन्होंने उनके विशेषाधिकार की अवहेलना की है और इस प्रकार माननीय राज्यपाल का भाषण सुनने में बाधा पहुंचाई गई।

यही नहीं मान्यवर, संविधान की धारा 176 के अन्तर्गत यह एक संसदीय अपराध है कि जब राज्यपाल महोदय अपना संदेश प्रसारित करें तो उस समय उन्हें संदेश प्रसारित करने से रोका जाय और बाधा पहुंचायी जाय। इसके अलावा मान्यवर, मैं समझता हूं कि जो संसदीय आचरण है और संसदीय परम्परा है उन परम्पराओं और आचरणों का साफ-साफ हनन है। मैं समझता हूं कि यह संसदीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने वाला कार्य है। मैं आपको यह सूचना देना चाहता हूं कि इस संबंध में सदन की एक कमेटी बननी चाहिये जो इस बात की पूरी जांच करे कि इन तीन माननीय सदस्यों के अलावा किन लोगों ने आज संसदीय परम्परा और गरिमा का हनन किया है। मैं चाहता हूं कि आप एक कमेटी बनायें। ऐसा हो चुका है। पंजाब विधान सभा में, ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपकी मांग है।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री शतरुद्ध प्रकाश---

इस सूचना पर आप आवश्यक कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष---

मुझे इस संबंध में माननीय नेता सदन तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव पेश करने के लिये सूचना मिली है और माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी ने जो प्रश्न उठाया है वह इसी के अंदर आ जाता है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर कुछ सदस्यों द्वारा अशोभनीय एवं अवांछनीय व्यवहार करने पर भर्त्सना का प्रस्ताव

मुख्य मंत्री (श्री रामनरेश यादव)---

मान्यवर, आज जिस प्रकार से राज्यपाल के अभिभाषण के समय माननीय सदस्यों ने व्यवधान उत्पन्न किया और सदन की गरिमा को आघात पहुंचाया है यह बहुत निन्दनीय है। इस संबंध में एक प्रस्ताव में प्रस्तुत कर रहा हूं। "आज दिनांक 17 मार्च, 1978 को उत्तर प्रदेश विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अवसर पर इस सदन के उन माननीय सदस्यों की जिन्होंने अशोभनीय और अवांछनीय व्यवहार किया है और सदन की गरिमा एवं सदस्य के आचरण के प्रतिकूल कार्य किया है, यह सदन घोर भर्त्सना करता है।"

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)---

अध्यक्ष महोदय, एक प्रस्ताव नेता सदन ने रखा है और एक बात माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी ने रखी है। दोनों प्रस्ताव तो एक में मिलाये जा सकते हैं या अलग किये जा सकते हैं ? मैं कोशिश यह कर रहा हूं कि आपके सामने यह रखूं कि आपकी नियमावली में क्या है ? (व्यवधान) आप जरा शांति से सुनें। इससे आपको मदद मिलेगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

मैं माननीय सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह शांति के साथ सदन की कार्यवाही को चलने दें। माननीय नेता सदन ने अभी सदन के समक्ष भर्त्सना का प्रस्ताव रखा है। जब दोनों सदन मिले थे तो माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के समय कुछ सदस्यों ने जो व्यवहार किया वह सदन की गरिमा के प्रतिकूल है और उसकी प्रस्ताव के जरिये भर्त्सना की है। जब हम भर्त्सना कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि नियमावली का पालन किया जाय। माननीय नेता, सदन ने जो प्रस्ताव पेश किया है उस पर मैंने माननीय श्यामधर जी को बोलने का अवसर दिया है।

श्री श्यामधर मिश्र---

श्रीमन् को धन्यवाद। मैं उस पर कह रहा था। मैं न केवल यहां कह रहा था बल्कि मैंने प्रेस से भी कहा है कि जो कुछ घटना यहां हुई, जिस तरह से नारे लगाये गये व्यक्ति विशेष के खिलाफ और जिस तरह से हिंसा का वातावरण यहां उत्पन्न किया गया वह निन्दनीय है, अशोभनीय है। (थपथपाहट) मैं स्वयं खड़ा हुआ था इस बात के लिये और विरोधी दलों ने यह तय किया था तिवारी जी से उस समय हमारी बात नहीं हुई थी बल्कि जो और साथी यहां बैठे हैं उनसे बातें हुई थीं और यह तय किया था कि अपनी बातों को मर्यादापूर्वक कह कर हम बाहर चले जायेंगे। अभिभाषण को नहीं सुनेंगे। वही हम करने जा रहे थे।

---

* वक्ता ने भाषणा का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फिर जो कुछ हुआ, आपके सामने हुआ। जो प्रस्ताव आया है उधर से उस पर मैं बाद में आऊंगा लेकिन जो विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित किया गया है उस सम्बन्ध में आप कुछ नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्ष---

श्यामधर जी आप विषयान्तर कर रहे हैं। जो प्रस्ताव माननीय नेता सदन ने पेश किया है उसी पर आप अपने को सीमित रखें। जो दूसरा प्रस्ताव माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी का है उसको मैंने अभी लिया ही नहीं और न उन्होंने लिखकर ही दिया है। फिलहाल आप अपने को माननीय नेता सदन के प्रस्ताव तक ही सीमित रखें।

श्री श्यामधर मिश्र---

मैंने अपनी राय दे दी है, जहां तक हिंसा की बात है और आचरण की बात है वह निन्दनीय है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)---

इसी विषय पर मुझे भी कुछ बोलना है।

श्री अध्यक्ष---

श्यामधर जी बोल चुके हैं जो आपके ही समुदाय के हैं।

श्री देव बहादुर सिंह---

व्यवस्था की बात है।

श्री अध्यक्ष---

जब आपके नेता बोल रहे थे उस पर आप क्या व्यवस्था उठाना चाहते हैं ?

श्री देव बहादुर सिंह---

आप सुन लें तो कुछ मदद ही मिल जायगी।

श्री अध्यक्ष---

आप कहिये, आप क्या व्यवस्था उठाना चाहते हैं ?

श्री देवबहादुर सिंह---

जब महामहिम राज्यपाल दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित कर रहे थे तो वह सदन की कार्यवाही नहीं मानी जाती है और जो नियमावली है वह कोई अनुमति नहीं देती कि उस विषय पर हम कोई चर्चा करें। मेरा निवेदन यह है कि नियमावली में कोई त्रुटि है तो इसका संशोधन किया जाय ताकि उस समय कोई ऐसा कार्य हो तो हम उस पर विचार कर सकें और विशेषाधिकार की बात कह सकें। लेकिन जब तक इस नियमावली में संशोधन नहीं करते तब तक हमारे हाथ बंधे हैं। जब संयुक्त अधिवेशन महामहिम राज्यपाल सम्बोधित करते हैं उस समय जो भी कार्यवाही यहां होती है, चाहे हम यहां उपस्थित हों, न हों, इस नियमावली के अनुसार महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण से सम्बन्धित कोई कार्यवाही नहीं होती। इसलिये उस समय यहां पर जो भी कार्यवाही हुई है उसके बारे में हम चर्चा सदन में करें, यह नियमानुकूल नहीं है। हम पहले नियमावली में संशोधन करें उसके बाद चर्चा करें, यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष---

माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उपस्थित किया है उसके बारे में इस नियमावली के नियम 313 के अनुसार उसे पूर्णतया इस बात का अधिकार है कि किसी भी प्रस्ताव को लिया जा सकता है। सदन की कार्यवाही का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। अगर बाहर भी कोई अशोभनीय घटना हुई हो जिससे सदन की गरिमा पर आंच आती हो और संविधान के अन्तर्गत चूंकि राज्यपाल इस सदन का अभिन्न अंग हैं इसलिये माननीय नेता सदन ने प्रस्ताव पेश किया है कि राज्यपाल के सम्मुख जो व्यवहार किया गया है वह उसकी भर्त्सना करता है। इसलिये इसकी जरूरत नहीं है और आपका व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। उसे मैंने अग्राह्य कर दिया।

*श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)---

श्रीमन्, आज इस विधान सभा में महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अवसर पर जो दुर्भाग्यपूर्ण प्रदर्शन हुआ वह हम लोगों के लिये एक बड़ी लज्जा की बात है। मैं सन् 1952 से इस विधान सभा का पांच मर्तबा सदस्य रहा हूं लेकिन इस तरह की घटना कभी भी नहीं घटी। जो कुछ भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण ही हुआ। जो प्रस्ताव नेता सदन ने भर्त्सना का रखा है हमारा दल उसकी पहले ही भर्त्सना कर चुका है और हम उसे प्रेस में भी दे चुके हैं।

*श्री देव कुमार (जिला बांदा)---

मान्यवर, आज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के दौरान जो दृश्य इस माननीय सदन में उपस्थित हुआ वह संसदीय लोकतन्त्र के लिये शोभनीय नहीं है। माननीय नेता सदन ने भर्त्सना का प्रस्ताव इस सदन के सामने पेश किया है लेकिन जैसा कि माननीय शतरुद्ध प्रकाश जी ने कुछ सदस्यों को नामजद किया है, माननीय नेता सदन ने किसी को नामजद नहीं किया है। मान्यवर, हम लोग यहां मूकदृष्टा थे। जिस ढंग से यह दुखद प्रक्रिया शुरू हुई उसके सम्बन्ध में दोनों पक्षों और आपसे इस सदन के अध्यक्ष होने के नाते, इस देश और प्रदेश के संसदीय लोकतन्त्र के ज्ञाता होने के नाते हम लोग बड़ी तकलीफ के साथ यह आग्रह करना चाहते हैं कि दोनों पक्षों के नेताओं को आपके साथ बैठकर विचार-विमर्श करना चाहिये। जिस तरह से सदन के अन्दर दृश्य हुआ, प्रदेश की जनता दीर्घाओं में बैठी हुई है, प्रेस के जरिये समाचार बाहर जायेगा इसका प्रभाव प्रदेश की जनता पर अच्छा नहीं पड़ेगा। इसलिये आप इस सदन में भर्त्सना का प्रस्ताव पास करें या न करें लेकिन इस सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार होना चाहिए यह बहुत जरूरी है। ऐसी घटनायें संसदीय लोकतन्त्र के लिये, माननीय सदस्यों के आचरण के लिये तथा इस सदन की गरिमा के लिये अनुकूल नहीं है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आज से बजट सेशन आरम्भ हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय नेता सदन से और खास कर जनता पार्टी के माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहता हूं कि बड़े संयम से काम लें।

मान्यवर, इधर से कुछ लोग माननीय राज्यपाल की तरफ गये लेकिन उधर से भी इसके लिए कुछ सदस्य जिम्मेदार हैं। आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है (व्यवधान) आपको नियंत्रण से काम करने की आवश्यकता है (व्यवधान)। हकीकत को तसलीम कीजिये। मैं कोई आक्षेप नहीं कर रहा हूं। जो दृश्य आज उपस्थित हुआ उसमें आप लोग भी भागीदार हैं, आपकी ज्यादा जिम्मेदारी है। इस सदन में व्यवस्था कायम करने के लिए आपका दायित्व ज्यादा है। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सम्बन्ध में व्यवस्था से सदन को चलने देंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

मान्यवर, मैं नेता सदन के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए इस सदन में जो दृश्य आज देखने में आया है यह पहला अवसर है। पिछले दौर में जब उन बेंचों पर माननीय तिवारी जी और बहुगुणा जी बैठते थे तब भी मैंने देखा कि थोड़ी बहुत नारेबाजी हुआ करती थी। मगर आज एक शर्मनाक बात हुई है। उत्तर प्रदेश की जनता के अन्दर जिसने आपको प्रतिनिधि बनाकर भेजा है अपनी जिन्दगी को सुरक्षित रखने के लिये, जिसने कानूनी आधार पर चुनकर आपको भेजा है उसे यह देख कर बड़ा दुःख होगा। (व्यवधान) हमारे ये दोस्त अपने गिरेवान को नहीं देखते मैं अपने कम्युनिस्ट भाइयों से भी कहता हूं। जो तीन लोगों का यहां पर श्री देव बहादुर सिंह जी और मिश्रा जी ने नाम लिया.....

श्री अध्यक्ष--

अभी किसी नाम का प्रश्न नहीं है।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मान्यवर, कहीं से नाम आये।

श्री अध्यक्ष--

मैंने उसकी अनुमति नहीं दी।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

यह कांग्रेस की तरफ से हुआ है।

श्री देव बहादुर सिंह--

यह मान्यवर, बहुत आपत्तिजनक बात है। कांग्रेस का क्यों उसमें नाम ले रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप क्यों चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात करते हैं।

श्री श्याम धर मिश्र--

इंदिरा कांग्रेस कहें।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मान्यवर, दोनों कांग्रेस एक हैं मैं समझता हूं। यह जो बात हुई है यह बड़ी अशोभनीय हुई है। इसमें कम रोल हमारे सी0पी0आई0 के लोगों ने अदा नहीं किया है। मैंने देखा कि जो अराजकता का काम इन लोगों ने किया है इससे प्रदेश की जनता के अन्दर गुंडागर्दी की भावना पनपेगी। अगर हम विधान सभा के 425 सदस्य परम्परायें तोड़ेंगे तो कांग्रेस हुकूमत में प्रदेश में जो गुंडागर्दी हुई जनता क्या कहेगी जिसमें तिवारी जी और श्यामधर मिश्र जी भी हैं जिन्होंने लाखों करोड़ों गुन्डों को पैदा किया ··· उनका मनोबल बढ़ेगा।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आपस में कृपया बात न कीजिए। भगवती प्रसाद सिंह जी, आप संक्षेप कीजिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मान्यवर, हम किसी की बात नहीं करना चाहते। हमको पढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बंगाल में पढ़ा रहे हैं। मैं जो कुछ भी बोलूं, टेढ़ा बोलूं या सीधा बोलूं, आप चाहें तो मुझे इंगित कर सकते हैं, लेकिन यह लोग इंगित करेंगे, तो यह ठीक नहीं होगा। यह शर्मनाक बात है। ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। चप्पलें चलीं कांग्रेस वालों ने चप्पल फेंकी और मारा भी जनता पार्टी के वरिष्ठ सदस्य को..... (व्यवधान) मैं आगाह कर देना चाहता हूं प्रदेश की जनता और जो हमारे कैबिनेट और ट्रेजरी बेंचेज पर बैठे हुए सदस्य हैं, उनको भी कि यह कोई आज की बात नहीं है। महीनों पहले के इन्दिरा जी के आप स्टेटमेंट पढ़िए, कांग्रेस की सारी बातों को देखिए, गांव-गांव में यह जो कह और कर रहे हैं, उसे देखिए। उनके साथ सत्ता पक्ष के लोग और प्रशासन के लोग भी मिल गए हैं, वे भी उनके साथ लगे हैं, यह कोई भावुकता की बात नहीं है। यह देश की एक वास्तविक स्थिति है। उसके आधार पर जिन लोगों ने किया है, उसमें उन लोगों का हाथ है। उसमें हमारे भाई सी0पी0आई0 का सबसे बड़ा रोल है। मैं निन्दा के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए पुनः अपने मुख्य मंत्री और कैबिनेट मंत्रियों और ट्रेजरी बेंचेज के सदस्यों को आगाह कर देना चाहता हूं कि इस प्रदेश में एक विकट स्थिति आने वाली है। इस स्थिति को हमारे मुख्य मंत्री जी अगर नजरन्दाज करेंगे तो प्रदेश की हालत और बदतर होगी, साधारण जनता का जीना दुर्लभ होगा। इसलिए मैं मुख्य मंत्री को आगाह कर रहा हूं, आप अपनी प्रशासन की कड़ियों को चुस्त करें, ठीक करें और ऐसे तत्वों के खिलाफ मजबूत प्रशासनिक कदम उठावें। आपने इनका तो कदम देख लिया, अब तो आप मजबूत कदम उठाइये।

एक सदस्य—

(श्री उदित नरायन का नाम पुकारे जाने पर) श्रीमन्, इन्होंने सी0पी0आई0 पर आक्षेप लगाया है, आप हमें बोलने का मौका देंगे या नहीं?

*श्री उदित नरायन (जिला हमीरपुर)—

अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता सदन ने जो प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन तो मैं करता ही हूं, लेकिन आज की जो घटना या उसे दुर्घटना कहूं, इस सदन में घटी है, उसके कुछ पहलुओं की ओर मैं माननीय सदस्यों का और आपके माध्यम से देश और प्रदेश की जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमन्, कहने की आवश्यकता नहीं, निसन्देह आज तक के इतिहास में इस सम्मानित सदन में किसी ने ऐसी धृष्टता या गुस्ताखी नहीं की, जैसी कि स्थिति आज देखने को मिली है या नंगा नाच देखने को मिला है। आज कांग्रेस (आई) के जो हमारे मित्र हैं, उन्होंने सिद्ध कर दिया है कि इस देश में प्रजातंत्र की परिभाषा केवल इन्दिरा गांधी की हुकूमत तक रहेगी और यदि इन्दिरा गांधी की हुकूमत नहीं रहेगी तो प्रजातंत्र भी नहीं रहेगा। आज किस बात की बौखलाहट थी, आज इन्दिरा गांधी की सत्ता में अनुपस्थिति उन्हें खल रही है। यह बरदाश्त वे नहीं कर सकते हैं कि दूसरा कोई वहां बैठे।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर इन्दिरा गांधी के प्रति जो बातें कहीं गई हैं, वे बातें वह चाहती हैं और उनके द्वारा ही करवाई जा रही हैं। नहीं तो हम देखेंगे कि जो आज हुआ है, उस पर वह क्या कार्यवाही करती हैं। आज सीधी-सीधी बात यह है कि इस देश में जनतंत्र रहेगा या नहीं रहेगा। उस पर रोष अपना प्रदर्शित किया जा सकता है, उसकी संसदीय परम्परायें आपके सामने हैं। आप कह सकते थे, वाक-आउट कर सकते थे या चले जाते, लेकिन "सदन नहीं चलने देगें" ऐसा कहना कहां तक ठीक है। इसका मतलब यह है कि आप प्रजातंत्र नहीं चलने देंगे। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ जब मैंने देव कुमार जी की बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सुनीं, वह उस समय देख रहे थे कि उनके सबसे बड़े नेता श्री सिन्हा इस डेस्क पर खड़े होकर नाच रहे थे। फिर भी यह कहा जा रहा है। इससे, आप जो कहते हैं उसका क्या अर्थ है ? मैं रमेश सिन्हा के बारे में बहुत दिनों से जानता हूं, मेरी उनके बारे में बड़ी अच्छी भावना थी। किन्तु इस घटना से मैं सोचने पर विवश हो गया हूं कि वास्तव में यह इन्दिरा गांधी का विरोध करते हैं या नहीं। यहां रमेश सिन्हा जी ने जो दृश्य उपस्थित किया, मैं समझता हूं कि शायद सुन्दर लाल के बाद उनका दूसरा ही नम्बर था, तीसरा नम्बर नहीं था। श्रीमन्, यह कोई मामूली घटना नहीं है, आज की कार्यवाही नहीं चली, अभिभाषण नहीं हो सका और न उसको कोई सुन सका।

प्रश्न यह है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के रहते, देश में जनतंत्र चल पायेगा या नहीं ? शासन में रहेंगी तो वह प्रजातंत्र की हत्या करेंगी, बाहर रहेंगी तो वह प्रजातंत्र की हत्या करेंगी। उनको जनता से एक सबक मिल रहा है वह यह मिल रहा है कि हमारे देश में सेवा का भाव है इस लिये हमारे देश और प्रदेश के लोग, हमारे समाज में रहने वाले लोग जब अपनी आंख से देखते हैं तभी विश्वास करते हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी के भाषण को सही मान कर लोग उनके पीछे दौड़ा करते थे। लेकिन आपातकालीन स्थिति में उन्होंने जो अपनी आंखो से देख लिया तब हमारे देश की जनता की समझ में यह चीज आयी कि उनका असली स्वरूप क्या है।

आज की जो घटना हुई है, उससे इस प्रकार के जो नेता हैं, उनके नेतृत्व में चलने वाले लोग जनतंत्र को चलने देना चाहते हैं या नहीं ? चलने देना चाहते हैं यह देश को, हम सब को सबक लेना चाहिये और उसको समझ कर दिशा लेनी चाहिये। मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने इतना समय दिया।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अध्यक्ष जी, आज जो घटना इस सदन में घटी है, मान्यवर, मैं विरोधी दल में बहुत दिनों तक रहा, इस सदन में जितने सवाल उठाये गये, विरोधी दल के सदन के इतिहास में लिखा हुआ है लेकिन एक बार भी ऐसा नहीं देखा। पूरे देश के लोग जब इतिहास उठायेंगे दुनिया के लोग जब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश विधान सभा में जहां साढ़े 12 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं वहां पर इस तरह का दृश्य हो सकता है। माननीय राज्यपाल को बोलने न दिया जाय, हाथापाई करने पर उतारू हों, माइक छीन कर, कुर्सियां फेंकी जायं।

मान्यवर, एक तरफ वे लोग ला एन्ड आर्डर की बात करते हैं और दूसरी तरफ वे लोग जो एक लाख बीस हजार जनता के प्रतिनिधि हैं वे सदन में ला एन्ड आर्डर को तोड़ें तो साधारण जनता क्या सोच सकती है।

यह भत्सना का प्रस्ताव नेता सदन ने रखा है क्योंकि वे मेरे नेता हैं, उनके प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सदन के नियमों में स्पष्ट व्यवस्था है कि जिन सदस्यों ने इस प्रकार का कृत्य किया है सदन के सामने, हमारे सदन के नियमों के अनुसार उनकी सदन की सदस्यता से पूरे पांच वर्ष तक के लिये निष्कासित कर सकते हैं। अगर ऐसे कृत्यों पर भी एक आंध घटना ऐसी नहीं होगी, संसदीय इतिहास चल नहीं सकता और न संसदीय प्रणाली बचेगी। इस तरह के कांड पर किसी शिष्टाचार के नाते अगर माफ कर देंगे तो गांव में रहने वाला, देहात का आदमी जो सुरक्षा की बात करता है वह क्या सोचेगा ? एक तरफ कहते हैं कि ला ऐंड आर्डर बिगड़ता है। हमारे नेता उग्रसेन जी जो लोक सभा के सदस्य हैं उनसे बात हुई कि किसी अखबार में पढ़ा था कि इलाहाबाद में एक कांग्रेसी नेता ने बयान दिया, कि हम हिंसा करेंगे, साफ ऐसा बयान दिया, जो तीन दिन पहले से छप रहा है कि हम हिंसा करेंगे, अगर हिंसा के बल पर समाज पर राज्य करना चाहते हैं, तो मुंह बंद

[श्री राधेश्याम शर्मा—]

करके, तो 43 में से भी अलग-अलग बंट गये तो देश और प्रदेश के लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि साढ़े बारह करोड़ जनता के प्रतिनिधि आपके पीछे खड़े हुये हैं, इन 352 लोगों को जनता ने चुना है। साढ़े 12 करोड़ जनता जिस दिन हमें नहीं चाहेगी उस दिन हम चले जायेंगे। जो हिंसा करेगा उसका जवाब कानून के द्वारा दिया जायगा। उसके लिये कानून और कायदे मौजूद हैं। लोकतंत्र में हिंसा नहीं चल सकती है। लोक तंत्र में शिष्टाचार से रहें और दूसरे से समन्वय से चले। जो हिन्सा करेगा उसे संसदीय इतिहास में बरदाश्त नहीं किया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यही मैं कहना चाहता हूं कि विधान सभा के बाहर भी लोग हिंसा का वातावरण बनाये हुये हैं अगर उनकी समस्यायें हैं तो वे अपना ज्ञापन दें,उस पर विचार किया जायगा, उनकी बात सुनी जायगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हिंसा की जो प्रवृत्ति है उसको बरदाश्त नहीं किया जायेगा। इस सदन के अन्दर नियम और कानून मौजूद हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी को हमारा पूरा समर्थन है और एक स्वर से हम खड़े हैं तो वह ठीक ढंग से चलाये तो ठीक ढंग से विधान सभा चलेगी और बाहर भी ठीक चलेगी। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे सदस्यों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मैं समझता हूं कि सदन का इस प्रश्न पर मतैक्य है। दूसरा प्रस्ताव भी है। इस पर अधिक विवाद की आवश्यकता नहीं है। मैं इस प्रश्न को उपस्थित करता हूं। प्रश्न यह है कि "आज दिनांक 17 मार्च, 1978 को उत्तर प्रदेश विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष श्री राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अवसर पर इस सदन के उन माननीय सदस्यों ने जिन्होंने अशोभनीय और अवांछनीय व्यवहार किया है और सदन की गरिमा एवं सदस्य के आचरण के प्रतिकूल कार्य किया है, यह सदन घोर भर्त्सना करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

एक सदस्य—

सर्व सम्मति से पूरे हाल में पास है।

[श्री राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर सदस्य, श्री सुन्दर लाल दीक्षित तथा सुरेन्द्र पाल आदि द्वारा अशोभनीय एवं अवांछनीय व्यवहार करने के संबंध में विधान सभा के सदस्यों की जांच समिति गठित करने का प्रस्ताव

श्री मधुकर दिघे (संसदीय कार्य मंत्री)—

मान्यवर, अभी जो निन्दा का प्रस्ताव, भर्त्सना का प्रस्ताव सदन ने एक मत से स्वीकृत किया है और उस संबंध में जो भावनायें माननीय सदस्यों ने व्यक्त की हैं,उसके बाद एक निश्चित कर्तव्य भी इस सदन का हो जाता है कि क्या केवल उनकी भर्त्सना करे या ऐसे लोगों को जो हिंसा का वातावरण कायम करते हैं और यह समझते हैं कि सारी जनता और जनता द्वारा जो प्रतिनिधि यहां चुनकर आये हैं . . .

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी, कृपया पहले प्रस्ताव पढ़ें।

श्री मधुकर दिघे—

मै उसको पढ़ता हूं। तो उसी भावना को ले कर मैं ठोस प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत करता हूं।

"दिनांक 17 मार्च, 1978 को उत्तर प्रदेश विधान मंडल के एक साथ समवेत दोनों सदनों को श्री राज्यपाल द्वारा सम्बोधन के अवसर पर इस सदन के सदस्य, श्री सुन्दर लाल दीक्षित, श्री सुरेन्द्र पाल आदि ने जो अशोभनीय एवं अवांछनीय व्यवहार, जिसमें श्री राज्यपाल के समक्ष जा कर माइक को तोड़ना व फेंक कर मारना, सभामंच पर जाना, कुर्सियां उठाकर फेंकना आदि सम्मिलित हैं, किया है, उसके सन्दर्भ में उनके आचरण एवं व्यवहार की सविस्तार जांच करने तथा उनके विरुद्ध उचित दंड का सुझाव देने हेतु सदन की एक समिति जिसमें 11 से अनधिक सदस्य हों, माननीय अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित की जाय, जो अपना प्रतिवेदन 15 दिन के अन्दर सदन को प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, जब अभी माननीय नेता सदन ने प्रस्ताव रखा तो उधर से मिश्रा जी ने एक सवाल खड़ा किया था जिसका आपने निराकरण भी कर दिया । जिन लोगों ने सदन में इस प्रकार का आचरण किया है, इस सदन को अधिकार है कि वह उनके आचरण की जांच करे । यह सच है कि अगर सदन में आपकी अध्यक्षता में यह काम हुआ तो सीधे यहां पर प्रस्ताव लाकर उनके विरुद्ध कार्यवाही की मांग कर सकते थे । लेकिन इन नियमों को ध्यान में रखकर मैंने इस प्रस्ताव को आपके सामने, सदन के सामने, प्रस्तुत किया है । इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के उपरान्त मैं देश की जनता को आगाह करना चाहता हूं । हम भी विरोध पक्ष में रहे हैं और मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि हमने कभी उनकी जैसी मूर्खता से और नासमझी से काम नहीं किया है । सदैव प्रजातंत्र का सम्मान किया है । हमने वहां बैठ कर जो काम किये, जब कि ये हमने कहा कि मारेंगे नहीं चाहे मानेंगे नहीं, हमने कभी मारने का काम नहीं किया है ।

आज इस सदन में, उन लोगों ने, जो अपने को प्रजातंत्र का हामी कहलाते हैं, दूसरे लोगों को प्रजातंत्र के समर्थन करने के नाम पर जेलों के सींखचों के अन्दर बन्द करने का काम करते हैं, देश के लोगों की जबान बन्द करते हैं, उन्होंने केवल यह ही नहीं किया कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का बहिष्कार किया या अपने विरोध की भावनाओं को प्रदर्शित किया बल्कि जो माननीय सदस्य इधर शान्ति से बैठे थे और चुपचाप बैठ कर कार्यवाही को देख रहे थे उनको टूटे हुये माइक के डंडों से फेंक-फेंक कर मारा । मैं उन सदस्यों का नाम लेकर अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहता हूं, मैं उनको इंगित भी नहीं करना चाहता हूं, यह तो सब इन्क्वायरी के समक्ष आ जायगा लेकिन मेरे हाथ पर भी चोट लगी जबकि मैं यहां पर बैठा था । माननीय राजबली तिवारी, जो सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं और जिनका सिर इस सदन के अन्दर तोड़ दिया गया है ।

(शेम-शेम की आवाजें)

मान्यवर, यही नहीं, कई गार्ड, जो यहां पर सेवा करते हैं, गरीब हैं, अपने पेट की भूख मिटाने के लिये यहां पर सेवा का काम करते हैं, उनको मारा गया । हमने कभी उनको लात नहीं मारी, गला दबाने का काम नहीं किया लेकिन उनकी ओर से उनको गिरा-गिरा कर उनके लात मारी गयी, उनका गला दबाया गया और उनमें से कई लोग बेहोश हो गये । इसलिये मैं इस प्रदेश की सारी जनता को आगाह करता हूं और स्पष्ट करता हूं, जनता पार्टी की ओर से, जनता की ओर से कि जो प्रदेश में हिंसा का वातावरण फैलाने की कोशिश करेंगे, गुन्डों का राज लाने का प्रयास करेंगे, उनका मुकाबला इस प्रदेश की जनता सड़कों पर करेगी । हमारी शराफत को हमारी कमजोरी मानने का काम उन्हें नहीं करना चाहिये ।

कम्युनिस्ट पार्टी की आदत तो गुलामी की है । उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं । श्री रमेश सिन्हा के बारे में माननीय उदित नरायन जी ने कहा है । लेकिन वे किस रास्ते पर जाना चाहते हैं, उसकी जानकारी हमको है ।

[श्री मधुकर दिघे--]

कम्युनिस्ट पार्टी आफ इंडिया यह प्रयत्न आने वाले दिनों में करेगी कि या तो इंदिरा गांधी का राज्य चले ताकि वह इंदिरा गांधी को कगार पर ले जाकर के गड्ढे में भिजवा करके अपना राज्य स्थापित कर सके और यदि नहीं हुआ तो इस देश में अराजकता पैदा करके सत्ता पर काबिज होने का प्रयत्न करें जैसा कि उन्होंने दूसरे देशों में किया है। वैसा ही इस देश में करने का उनका विचार है इन संभावनाओं के कारण ही म उन लोगों के बारे में कुछ कहना चाहता हूं जिन्होंने नासमझी से उनका नेतृत्व किया और किसने नेतृत्व किया, मान्यवर ?

नारायण दत्त तिवारी जी बोले। शुरूआत तो की, लेकिन फालोअर हो गये उनके जिनका नाम मैंने इसमें दिया है प्रस्ताव में दीक्षित का। नारायण दत्त तिवारी का दुर्भाग्य यह है कि जब सदन में भी उनकी फालोइंग नहीं रह गयी तो दीक्षित जी के नेतृत्व में चलने लग गये। इसी तरह से ये दीक्षित जी किसक प्रस्तावक हैं? ये यशपाल कपूर के प्रस्तावक है, यह भी मैं बता दूं (आवाजें-शेम-शेम)। अब इस माननीय सदन को और इस देश को जानकारी हो जाना चाहिये कि कहीं इसके पीछे कुछ और काम तो नहीं करना चाहते हैं, कोई और बात तो नहीं चल रही है। क्योंकि पुराना भी हमको पता है कि कपूर होटल में बैठ करके माननीय सदस्यों को खरीदने का कुकर्म ऐसे लोगों ने किया है पिछले जमानों में। इसलिये मैं आगाह करना चाहता हूं मान्यवर, इस देश की जनता को, जो भी मेरी बात इस सदन के सदस्य सारे देश के बीच में पहुंचा सकें और इसी भावना के साथ मान्यवर, मैंने यह प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है।

मैं मानता हूं कि मुझे मार दिया, ठीक है, मैं उनके बराबर का था, लेकिन एक गरीब आदमी का दांत तोड़ दिया, दांत से काट लिया। उसके गले पर बैठ करके जबरदस्ती गले को दबाने का काम किया। ऐसा काम हो गया। अगर यह काम बाहर हुआ होता तो आज सारे लोग, माननीय नारायण दत्त तिवारी से लेकर सब लोग जेल के सींखचे के अन्दर बन्द होते। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि वैसे माननीय सदन को अधिकार है, हम सक्षम है हम चाहें तो इसके विरुद्ध भी कार्यवाही कर सकते हैं, लेकिन मान्यवर, यह मैं आप पर छोड़ता हूं, उस समिति पर छोड़ता हूं जिसका प्रस्ताव मैंने आपके समक्ष किया है। मैंने जानबूझ कर इन सारी बातों का प्रत्यक्षदर्शी होते हुये भी,सारा माननीय सदन प्रत्यक्षदर्शी होते हुये भी मैंने नियम और कानून जो माननीय सदन के हैं उनको ध्यान में रख करके इस प्रस्ताव को, जो न्यायपूर्ण है, वह आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। मुझे उम्मीद है कि इस प्रस्ताव पर कोई बहुत बहस करने की जरूरत नहीं, लेकिन माननीय सदस्य अपनी भावनायें जरूर व्यक्त करना चाहेंगे और इस प्रस्ताव को, जैसा कि पहला प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, इसको भी सर्वानुमति से स्वीकार करने का काम होगा। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय कल्पनाथ सिंह...

एक सदस्य--

मैं इस प्रस्ताव में संशोधन प्रस्तुत करूंगा।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)--

हमें भी मौका दें, कांग्रेस वाले हरिजनों को पीट रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आपको अवसर देंगे। आप बैठिये।

श्री हरी सिंह (जिला मेरठ)—

मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक हरिजनों को मौका दीजिये, हरिजनों का खून खौल रहा है। हमको मौका दीजिये, हम अपनी बात कहेंगे।

*श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

अध्यक्ष महोदय, मैं अपका ध्यान प्रक्रिया नियमावली के नियम 19 की ओर ले जाना चाहता हूं..... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग बैठिये।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अध्यक्ष जी, मैं इस प्रक्रिया नियमावली के नियम 19 की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। "विधान मंडल के दोनों सदनों को राज्यपाल का अभिभाषण और सभा में उस पर चर्चा।' इस नियम के अन्तर्गत प्रत्येक माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि वह माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सुनता। यह अधिकार हमें संविधान के अन्तर्गत प्रदत्त है। नियमों द्वारा भी प्रदत्त है। मुझे आज उन लोगों द्वारा उनके कार्य को देखकर आश्चर्य हुआ जिन्होंने कि संविधान के अन्तर्गत और नियमों के अन्तर्गत काम करने की शपथ ले रखी है उन लोगों ने आज जो कुकर्म किया उसको देखते हुये यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव कमेटी के गठन के बारे में प्रस्तुत किया है और जिसमें 15 दिन की अवधि की बात रखी गयी है, उन लोगों के लिये, जिन्होंने कि आज यहां सदन में कुकर्म किया है, 15 दिन का समय देना मुनासिब नहीं है।

हमारा बजट-सत्र चलने वाला है। जो आज घटना यहां सदन में घटी उससे उन लोगों की मन:स्थिति का पता चलता है जिसका परिचय वे इस सदन के बाहर खुले आम दे रहे हैं। उनकी आज यह नीति बन गयी है कि खुले आम प्रशासन को समाप्त करो और यहां सदन में भी नियमों और मान्यताओं को तोड़ो, उन पर कुठाराघात करो, उसको रौंदो, ताकि हिन्दुस्तान की जनता यह समझ पाये कि यहां प्रजातंत्र चलने वाला नहीं है। आज यहां इस सदन क साथ ही नहीं, माननीय सदस्यों के साथ ही नहीं बल्कि प्रजातंत्र के साथ इन लोगों ने पिटायी की है। उन्होंने किसी माननीय सदस्य की पिटायी नहीं की है, केवल प्रजातंत्र की पिटायी की है।

जो भी कर्मचारी यहां इस सदन की सेवा करता है, अगर कोई माननीय सदस्य उसके साथ दुर्व्यवहार करता है तो वह सदन के अवमान का दोषी बन जाता है। सदन के कर्मचारी और आप स्वयं वहां बैठे हुये आज जो कुछ यहां हुआ उसे देख रहे थे। आपका भी अपमान इस पूरे सदन का अपमान होता है। इन लोगों ने आपका भी लिहाज नहीं किया। सदन के कर्मचारियों का भी लिहाज नहीं किया।

मान्यवर, माननीय राज्यपाल महोदय तो यहां पर केवल भाषण को पढ़ते हैं और उसके पढ़ने के लिये यहां आते हैं जो हमारी परम्पराओं के अनुरूप है और इस संविधान में दिया हुआ है। माननीय राज्यपाल की इस तरह से बेइज्जती करना इस बात का द्योतक है कि वे लोग न केवल इस सरकार से रुष्ट ह बल्कि सारे प्रजातांत्रिक तरीकों से, प्रजातांत्रिक संस्थाओं से ही रुष्ट हैं। आज उसी का श्री गणेश यहां उत्तर प्रदेश की विधान सभा में

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथ सिंह—]

इन लोगों द्वारा किया गया है । मेरा निवेदन है कि उन माननीय सदस्यों को उनकी सेवाओं से यह सदन तब तक वंचित कर दे उनको सस्पेंड कर दीजिये, मुअत्तल कर दीजिये इस सदन की सेवा से जब तक इस कमेटी की रिपोर्ट न आ जाय । इसलिये श्रीमन्, मेरा यह प्रस्ताव है, आप से निवेदन है कि उन माननीय सदस्यों को इस सदन की सेवा से वंचित किया जाय तब तक के लिये जब तक कि इस सदन की कमेटी की रिपोर्ट न आ जाय । इन शब्दों के साथ मैं अध्यक्ष महोदय, निवेदन करता हूं कि कृपा करके आप इस पर विचार करें ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव जो एक समिति के गठन के संबंध में है, के समर्थन के लिये खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, राज्यपाल का अभिभाषण एक अत्यन्त गौरवमय तथा पवित्र समारोह है । प्रत्येक माननीय सदस्य से एक विशिष्ट आचरण की अपेक्षा की जाती है । आज उस समय जो आचरण इस आदरणीय सदन में किया गया, मान्यवर, उसकी जितनी निंदा की जाय उतनी कम है । वास्तव में विधायक के गौरवमय पद पर उसने एक कलंक का कार्य किया है । वह एक साजिश इस बात की थी कि जिससे देश की जनता में जनतंत्रीय कार्य में ऐसी स्थिति पैदा हो जाय, तानाशाही को बढ़ाने के लिये जानबूझ कर यह अशांतमय वातावरण यहां पर पैदा किया गया ।

मान्यवर, सदस्य कितने उत्तेजित थे, मेज पर आकर नाचना, माइक को तोड़ना और कुर्सी को तोड़ना, जानबूझकर निशाना बनाकर माइक को फेंका गया । जिस समय राज्यपाल के पास माइक खींच कर फेंका गया था, उससे ऐसा लगता था कि शायद सदस्य उनसे हाथापाई तक भी करना चाहते थे । जो शांतिपूर्वक बैठे हुये थे, उनके ऊपर भी यह फेंका गया । श्रीमती इन्दिरा गांधी के, कांग्रेस के लोग आज बहुत ही हरिजन प्रेम की बात कहते हैं । जनता पार्टी की सरकार ने आज हमारे राज्यपाल के पद पर एक हरिजन व्यक्ति को पदासीन किया और उसके भाषण को ये लोग सुनना नहीं चाहते थे । श्री जगजीवन राम ने श्री सम्पूर्णानंद जी की मूर्ति का बनारस में अनावरण किया था, उसको गंगा जल से धोने का प्रयास किया तथा इसी तरह से अभी पटना में श्री जगजीवन राम को अपमानित करना, उनके साथ राष्ट्रीय झंडे को भी अपमानित करना, यह इन्दिरा गांधी की कांग्रेस के हरिजन विरोधी रवैये का परिचायक है । उस साजिश से आज शांति व्यवस्था को नष्ट करने के लिये इनकी साजिश है । इस बात को कहा जा रहा है कि विधान भवन के सामने प्रदर्शन करने पर रोक लगा दी गयी है । यह निर्णय इस सरकार का नहीं है, बल्कि इससे पहले उस शासन का है, जिस समय स्वयं नारायण दत्त तिवारी जी इस प्रदेश के मुख्य मंत्री थे ।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न इस वक्त नहीं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मैं प्रश्न पर आता हूं । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, हम उस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं । मान्यवर, सदस्य से किसी विशिष्ट आचरण की अपेक्षा की जाती है । मान्यवर, विधायक के पवित्र नाम को बदनाम न किया जाय । यह जब कल अखबारों में निकलेगा तो और भी बदनामी होगी । इस तरह के आचरण पर कड़ी से कड़ी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कार्यवाही की जाय । मान्यवर, मेरा सुझाव है, यदि आवश्यक समझे तो प्रस्ताव में संशोधन कर लें । मान्यवर, सदन स्वयं सक्षम है कि संशोधन कर ले । सभी माननीय सदस्यों ने उस समय के व्यवहार को देखा है । सदन स्वयं इस बात का निर्णय कर ले । जिन लोगों ने विधायक के पवित्र पद पर बट्टा लगाया है उनको कठोर दंड अभी-अभी दिया जाय ।

(मेजों की थपथपाने की आवाजें)

मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उसका समर्थन करता हूं ।

श्री कन्हैयालाल सोनकर--

मान्यवर, आज जो कुछ इस पवित्र सदन में हुआ है, मैं दस साल से विधायक हूं, मेरे जीवन काल में ऐसा शर्मनाक कांड नहीं हुआ । मैं इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, जबसे जनता पार्टी ने सत्ता को संभाला है, मैं देख रहा हूं कि इंदिरा कांग्रेस के ब्राह्मण लोग जगह-जगह पर चाहे जगजीवन राम जी हों, हरिजन हों, चाहे उद्घाटन का मामला हो, चाहे मूर्ति का मामला हो, चाहे गीता, कुरान का मामला हो, हर जगह पर हरिजनों को अपमानित करने की चेष्टा की जा रही है । सौभाग्य से आज अपने प्रदेश के महामहिम राज्यपाल जो सर्वप्रथम इस पवित्र सदन में अपना अभिभाषण देने आये । मान्यवर, वह एक साल के लिये नीतियों को निर्धारित करते हुये घोषणा करते, लेकिन चूंकि वह हरिजन हैं इसलिये] ×××] नारायण दत्त तिवारी और [×××] सुन्दर लाल जो [×××] उसने उन पर जूते बरसाये, कुर्सियां बरसायीं, चूंकि वह हरिजन हैं ।

(व्यापक शोर तथा मेजों को थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष--

शांत रहें ।

श्री कन्हैयालय सोनकर--

मुझे क्षोभ है । मैं अपनी बात कह नहीं पा रहा हूं ।

एक सदस्य--

मान्यवर, लफंगा शब्द अन-पार्लियामेंटरी है, असंसदीय है ।

श्री अध्यक्ष--

लफंगा शब्द जो इस्तेमाल किया है उसको सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

(व्यापक शोर)

एक सदस्य--

यह असंसदीय है । (शोर)

नोटः—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

135253

श्री अध्यक्ष—

मैंने निकाल दिया है।

(शोर)

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री सत्य प्रकाश मालवीय)—

मान्यवर, इसको देख लें। मान्यवर, इसको देख लिया जाय। मेरा कहना है कि यह संसदीय है। (शोर)

श्री अध्यक्ष—

सोनकर जी ने जो लफंगा शब्द इस्तेमाल किया है वह असंसदीय है। यह कार्यवाही का अंग नहीं होगा। कृपया आप इसको दोहराइयेगा नहीं।

श्री कन्हैया लाल सोनकर—

मान्यवर, मैं निवेदन करूंगा कि कांग्रेस पार्टी जब से सत्ता से निकली है, हरिजनों के ऊपर हर जगह अत्याचार कर रही है। आज प्रदश की जनता द्वारा चुने हुये प्रतिनिधियों ने अपनी आंखों से देख लिया कि विधान सभा के अंदर महामहिम राज्यपाल जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं और दूसरे प्रदेश से आये हैं उनके सम्मान के विरुद्ध लोगों ने जूते चप्पलें चलाये, मैं जानना चाहता हूं कि जब श्री चन्द्रभानु गुप्त चीफ मिनिस्टर थे और कमलापति त्रिपाठी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तो उस समय कुछ इस प्रकार की अभद्रता की गयी थी तो क्या क्षमा कर दिया गया था? दूसरे दिन तत्काल 36 आदमियों को जहां तक मुझे याद है विधान सभा की मेंम्बरी से कुछ दिनों के लिये निकाल दिया गया था। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि श्री सुंदर लाल श्री नारायण दत्त तिवारी को किन कारणों से वित्त मंत्री 15 दिन तक यहां बनाकर गड़बड़ी कराना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि तत्काल आज ही ऐसे लोगों के ऊपर अभियोग चलाकर निलंबित कर दिया जाय।

(मेजों की थपथपाहट का शोर)

इनको निलंबित कर देना चाहिये और पूरे सत्र के लिये निकाल देना चाहिये।

*श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन, जो प्रस्ताव माननीय मंत्री जी ने उपस्थित किया है वह स्वाभाविक है। जो पहला प्रस्ताव है वह इसका एक अंग ही है चूंकि विशेषाधिकार का यह प्रश्न नहीं है। मैं यह मानता हूं कि इसलिये इस प्रस्ताव को इस रूप में लाना पड़ा। जहां मैं यह कहता हूं वहां मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस प्रस्ताव के लाने के पहले कम से कम विरोधी दलों के नेताओं से परामर्श कर लेते जैसे कि सदैव की परिपाटी रही है और ऐसे जो प्रस्ताव आते हैं तो सदैव मंत्रिगण विरोधी नेताओं से परामर्श कर लेते हैं क्योंकि साधारणतया इसमें असहमति नहीं होती और आज भी साधारणतः असहमति नहीं है। लेकिन मुझे दुख हुआ कि पहला प्रस्ताव मुख्य मंत्री जी ने किया। उसके संबंध में हमने पहले सुना था कि एक प्रस्ताव आने वाला है। कोई बात जो मुझसे ताल्लुक है सदन से ताल्लुक है या विरोधी दल से ताल्लुक है जिसको मुझे अधिकार है कि जिसकी राय मैं पहले दूं। इसलिये मैं उम्मीद करता हूं कि नेता सदन और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्रीगण हमसे राय करेंगे और जहां हमारा हक है, जहां हमें पूछने का हक है वहां मैं आपसे राय लेने जाऊंगा ।

दूसरा प्रस्ताव जिस प्रकार मान्यवर, आया है कमेटी के संबंध में उसमें कई तो मौखिक संशोधन यहां आ गये हैं । पता नहीं उनको मानेंगे या नहीं ? यदि इन संशोधनों को लिया जाय तो एक आया है कि तत्काल कुछ लोगों को निलंबित किया जाय । उसका सदन ही तत्काल फैसला कर दे । तो इस प्रकार कमेटी की बात नहीं है । तो यह दोनों बातें जो हैं वह असंगत है । इसलिये या तो कमेटी बनायें और उसको अधिकार दें वह निश्चय करे या फिर मंत्री कहें कि कमेटी नहीं बनायेंगे और सदन को ही अधिकार है । सदन ही निर्णय कर दे । इसके अलावा प्रस्ताव में दो नामों के बाद में "आदि" लिख दिया गया है । तो "आदि" की रस्सी में किस-किस को बांधने वाले है यह हम नहीं जानते हैं ।

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)—

आपको भी बांधा जायगा ।

(हंसी)

श्री श्याम धर मिश्र—

मैं जानता हूं कि मान सिंह जी को भी बांधा जायगा या और भी उस पार्टी के लोगों को बांधा जाय, लेकिन झगड़ा दोनों हाथों से होता है , ताली दोनों हाथों से बजती है ।

(शोर)

मान्यवर, हमेशा मैं कहता रहा हूं कि माननीय सदस्य सुन लें और मान्यवर,आपके जरिये प्रार्थना करता रहा हूं और आज भी कर रहा हूं वह यह कि माननीय नेतागण, माननीय मंत्री-गण और माननीय विरोधी दल के सदस्यगण यदि इस लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं और इसकी सेवा करना चाहते हैं, जिसमें मैं अपने को भी शामिल करता हूं, तो हमको बोलने के साथ-साथ सुनना भी सीखना होगा । मैं निश्चित तौर से कहना चाहता हूं कि चाहे जिस दल के लोग हों और जो "कांगो" के लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वह उत्पात मचा रहे हैं । तो वह क्यों उत्पात मचा रहे हैं क्योंकि वह समझते हैं कि आपका शासन कमजोर हो रहा है, जनता ऊब रही है । यह गलत काम करके उभर रहे हैं लेकिन ऐसे नहीं होगा । हमारी और उनकी नीतियों में यही तो मतभेद है । इसलिये मेरा कहना है कि सही रास्ते चलो, सही जनतंत्र करो । आपने एक एक बार 19 महीने जनतंत्र की हत्या की थी, उस समय मैं नहीं था ।

तो मान्यवर, जो प्रस्ताव आया है,"आदि" के संबंध में उसमें या तो "आदि"को निकलवायें या नामों को निकलवायें । कमेटी के सामने जो-जो नाम आयेंगे उनको कमेटी देखेगी । "आदि" आप रखें या दो नाम रखें या सब नामों को इक्झास्टिव रखे । दो नाम कहकर "आदि" कैसे आप रखना चाहते हैं यह मेरी समझ में नहीं आता है ? मैं कमेटी को मान्यता देता हूं । आप कमेटी बनायें । कमेटी आपके द्वारा मनोनीत हो । उसको मान्यता है । आप चयन करें । 15 दिन के अन्दर, दस दिन के अन्दर, सात दिन के अन्दर वह अपनी रिपोर्ट दे और फिर सदन को जो कार्यवाही करनी हो करे । जैसे कल्पनाथ सिंह जी ने और एक दूसरे माननीय सदस्य ने कहा कि अभी-अभी निर्णय कर दिया जाय तो ठीक है सब लोग बयान दें । कोर्ट यहां बैठा है । आप निर्णय दे दीजिये संशोधन अगर होना चाहिए तो यह होना चाहिए कि आदि शब्द निकलें या दोनों नाम निकलें

[श्री श्यामधर मिश्र—]

जिससे कि बात स्पष्ट हो जाय। हम लोग इस बात के हामी हैं और हम इसकी स्वीकृति अपनी ओर से देंगे।

डाक्टर मोअज्जिज अली बेग (जिला अलीगढ़)—

यह जो वाकया आज सदन के अन्दर हुआ है, मेरी जानकारी में यह इंसीडेंट नहीं है या कोई वक्ती हादसा नहीं है। मेरी जानकारी में इसके पीछे एक गम्भीर साजिश है। मैं ऐसा समझता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी तीन दरारों से अपना रास्ता निकाल रही हैं और अपना फासिस्ट इरादा पूरा करना चाहती हैं। पहली दरार है शासन की कमजोरी दूसरी है जनता की समस्यायें और तीसरी है मार्कसिस्ट और लेनिनिस्ट विचारधारा, सालों में नहीं महीनों में वह यह रास्ता निकालने वाली है। अगर यही सूरतेहाल रहा और जो बात मैं कह रहा हूं उस पर गौर न किया गया तो निकट भविष्य में ही वह यह रास्ता निकाल लेगी और देश के अन्दर बहुत जल्दी ही स्ट्रीट बैटिल एण्ड स्ट्रीट फाइटिंग होगी। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को राष्ट्रभूमि का वास्ता देकर कहना चाहता हूं कि वह एक एडवाइजरी कौंसिल कायम कर दें जो यह देखे कि वे कौन सी स्ट्रेटेजी है, कौनसी टेक्टिस है और डाकूमेन्टेड चीजें हैं उनको भी वह सोच समझ लें कि उनके क्या कांसक्वेन्सेज हो सकते हैं और उसके बाद देखें कि उसका क्या समाधान होगा। लेकिन अगर महज हैफेजर्ड थिंकिंग ही हुई और इसको महज ला ऐन्ड आर्डर की समस्या ही समझा गया तो यह बहुत बड़ी गल्ती होगी और फिर उसका खमियाजा शासन को भुगतना पड़ेगा।

मेरी जानकारी ऐसी है कि फासिस्ट थिंकिंग यह कशिश कर रही है कि किसी सूरत से उसका सम्बन्ध मार्कसिस्ट और लेनिनिस्ट थिंकिंग से हो जाय। फिर फासिज्म और डेमोक्रेसी की टक्कर में फासिज्म को कमजोर कर दें, लेकिन साथ ही डेमोक्रेसी को भी कमजोर कर देंगे। सी0पी0आई0 और सी0पी0 एम0 के जो एलीमेंट्स हैं वह अपना रास्ता निकाल लेंगे। सी0पी0 एम0 इसमें बिलीव करता है कि पावर फ्लोज आउट आफ दि बैरल आफ दि गन। वह इसका तजुर्बा करने वाला है। फासिज्म और डेमोक्रेसी की टक्कर में कमजोर हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष—

इस वक्त बेहतर होगा कि आप मार्क्सवाद पर नहीं, अपने विषय पर ही समय दें।

डाक्टर मोअज्जिज अली बेग—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इन मामलों पर विचार करने के लिये एक एडवाइजरी कौंसिल बनायें। उस कौंसिल को बनाकर इस पर गम्भीरता से विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

एक जो संशोधन पेश किया गया है वह यह है कि श्री श्याम सुन्दर गुप्त द्वारा कि इन्दिरा गुट के सदस्य, श्री सुन्दर लाल दीक्षित को आज से ही सदन की सदस्यता से निलम्बित किया जाय। यह आपने जो संशोधन पेश किया है उसमें कहना है कि किसी एक अपराध के लिये दो दण्ड नहीं दिये जा सकते। जब आप एक समिति बना रहे हैं, तो उसमें विचार होगा। जब आप चाहते हैं कि यहां पर जो आचरण हुआ, उसकी जांच की जाय, तो उससे पहले ही आप फैसला कर दें कि किसी को निलम्बित कर दिया जाय और उसे सुनने का अवसर भी न दिया जाय, तो यह

अनुचित है। एक बात श्यामधर जी ने प्रस्तुत किया कि यह प्रश्न विशेषाधिकार की अवहेलना का नहीं है क्योंकि जिस वक्त दोनों तरफ के सदस्यों में संवेग था तो वह नियमित सदन नहीं था। हमारे सामने जो प्रस्ताव है, वह तो सदन के सदस्य के आचरण का है। जो सदस्यों ने आचरण किया, उसकी जांच होनी आवश्यक है और जांच होने के बाद निलम्बित किया जा सकता है। सारे पांच साल के लिये निष्काषित किया जा सकता है। इसमें भर्तस्ना की जा सकती है। तो आपका जो संशोधन है, इसको अनियमित करार देता हूं।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, आज जो महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय दुखद दृश्य हुआ और जिस हद तक पहुंचा, उसकी जितनी भी निन्दा की जाय, वह थोड़ी है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पहले जो अपना प्रस्ताव रखा कि भर्तस्ना की जाय, उसको माननीय सदन ने पास किया। अब यह दूसरा जो समिति का प्रस्ताव रखा है उसमें क्या है? मैं स्वयं सोच रहा था कि आज से बजट सेशन शुरू हो रहा है और दो ढाई महीने चलेगा। इसके अंदर सारे प्रदेश की जटिल समस्याओं के बारे में बैठकर विचार करेंगे और इस सदन के अंदर इस तरह की घटना जैसी कि आज घटी है, जो एक हद तक पहुंची है। लेकिन समय-समय पर पहले भी इन्हीं आंखों से इसी तरह की और भी घटनायें देखी हैं। इसी सदन के अन्दर यह भी देखा है कि जिन लोगों ने इस किस्म की घटनायें कीं और जिनको 5 साल के लिये निष्काषित रखने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा गया, या जिनके बारे में सोचा गया कि उनको बाकी समय के लिये विधान सभा की सदस्यता से अलग किया जाय, उन्ही लोगों को डिप्टी मिनिस्टर भी बनाया गया एक इनाम के स्वरूप उन्होंने इस माननीय सदन के माननीय उपाध्यक्ष महोदय के ऊपर पेपर-वेट फेंकी है, किताबें फेंकी हैं। गिरेबान पकड़ कर खींचा है, लेकिन उनको डिप्टी मिनिस्टर का पद दिया गया।

श्रीमन्, मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि इस तरह की घटनाओं के बारे में जब हम प्रजातंत्र में इसको मन्दिर मानकर चलते हैं। तो उसकी कसौटी भी बनायें। मैं स्वंय एक उस तरह की कमेटी का मेम्बर था जिस वक्त कि वह घटना हुई। जिसका मेम्बर मै भी था और चौधरी चरण सिंह जो आजकल गृह मंत्री हैं वह भी उस वक्त उस कमेटी के मेम्बर थे। इस कमेटी ने सिफारिश की थी जिसके आधार के ऊपर यह सदन ठीक से चले। उसका अमल दरामद हो। यह फैसला लिया गया था। मैं आप से दरख्वास्त करूंगा कि इस सदन की जिसे हम सब इलैक्शन लड़ कर हासिल करना चाहते हैं, प्रजातंत्र की दुहाई देते हैं यहां बैठते हैं; उसकी गरिमा बनाये रखने के लिये उस कमेटी का जैसा कि कहा गया है निर्माण हो। वह कमेटी जरूर बने। लेकिन उसमें दो चीजें मैं जरूर चाहता हूं एक तो यह कि उसमें दो नाम लिये गये हैं। क्योंकि वे दो माननीय सदस्य इस सदन के अंदर नहीं हैं इसलिये उनकी गैरहाजिर में उन दो सदस्यों को बिशेषतौर पर इसमें रखा जाय, यह उचित नहीं होगा। जैसा मिश्रा जी ने कहा जो कुछ भी हुआ है उस सबके ऊपर एक इनक्वायरी हो और वह अपनी रिपोर्ट सदन के सामने रखे और सदन उस पर अपना निर्णय ले। यह अपनी जगह पर सही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रियासत हुसैन--]

दूसरी बात मैं यह चाहता हूं कि थोड़ा सा कांस्टीट्यूशन और पीपुल्स रिप्रीजेन्टेशन ऐक्ट में भी संशोधन की बात उस कमेटी के रिकमन्डेशन के द्वारा हो और वह यह हो कि जिस माननीय सदन को हम सब हासिल करने की कोशिश करते हैं। उसकी कुछ डिसक्वेलिफिकेशन बनी हुई हो कि ऐसा उम्मीदवार यदि उचित हुआ तो डिसक्वालिफाई हो जायगा। उसके लिये मेरा यह सुझाव है कि उस कमेटी में यह भी हो कि किसी ने किसी तरह से अगर इस माननीय सदन के अपमान के कारण कोई माननीय सदस्य किसी निर्धारित सजा को पा जायगा तो वह भविष्य में इलेक्शन लड़ने के लिये डिसक्वालिफाई होगा। यह भी उसमें शामिल हो।

मैं इस संबंध में कोई लम्बी चौड़ी बात नही करना चाहता हूं। इस माननीय सदन के अंदर पहले भी इस तरह की गम्भीर घटनायें हुई हैं लेकिन उन गम्भीर घटनाओं के मुआवजे में इनाम मिले हैं। भले ही इधर के बैठने वाले उधर चले गये हैं और उधर के बैठने वाले इधर आ गये हैं, लेकिन सदन अपनी जगह है। वह वहीं है, जहां पहले था, वह आज भी वहीं है। इसका सम्मान जो पहले था, वह अब भी है।

श्री अध्यक्ष--

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा अपना संशोधन पेश करें।

(कई सदस्यों के बोलने पर)

यह संशोधन है।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)--

जो प्रस्ताव रखा है मैं उसका पूरे दिल से समर्थन करता हूं। अपने संशोधन पर दो बातें कहना चाहता हूं आपकी इजाजत से . . .

श्री अध्यक्ष--

जी नहीं आप संशोधन रखें, पहले।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

संशोधन पेश करने के बाद मैं दो मिनट और समय लूंगा। मेरी यह राय है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें यह भी जोड़ दिया जाय। श्रीमन्, हम जनतंत्र में विश्वास करते हैं मेरा यह विचार है कि जो मान्यता प्राप्त विरोधी ग्रुप के लोग हैं क्योंकि विरोधी दल तो अब रहा नहीं . . .

(शोर)

श्री अध्यक्ष--

आप शांत रहिये। बोलने दीजिये।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

मेरा यह संशोधन है कि समिति में 11 की जगह 15 सदस्य रहें एवं प्रत्येक विरोधी दल का भी एक-एक सदस्य उस समिति में रहे। माननीय अध्यक्ष हैं वे भी उस समिति में रहें। जो घटना आज सदन में घटी है उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कि हम लोगों ने पिछले तीस साल से जनतंत्र की परम्पराओं को कायम करने के लिये संघर्ष किया और अपना विरोध प्रकट किया। हमने जनता की भावनाओं को उठाने की जब कोशिश की तो उसकी एक मर्यादा थी, एक सीमा थी और उसी सीमा तथा मर्यादा के अन्दर रह कर ही हमने अपना विरोध प्रकट किया है। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आज यह एक डिजाइन्ड प्लान है, सारे हिन्दुस्तान में कि खून बहाया जाय सड़कों पर और उसी के अन्तर्गत आज की यह एक घटना है। जो लोग बैलट बाक्स से विरोधियों को पराजित करके आये हैं, उनमें यह भी हिम्मत है अगर जरूरत पड़ेगी बुलेट से पराजित करने की तो वह ताकत भी हममें है। वैसे हिंसा में हमारा विश्वास नहीं है लेकिन उनके डिजाइन्स का जवाब न दे सकें तो ऐसी बात नहीं है।

मैं अलीगढ़ के प्रोफेसर साहब से कहना चाहता हूं कि फासिज्म तथा मार्क्सिज्म एक साथ नहीं चल सकते। मार्क्सिज्म मुकम्मल तरीके से एक आईडियल है जो पूरे तौर से इन्दिरा गांधी को खत्म करने के लिये, जनतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करने के लिये तथा नागरिक अधिकारों को कायम रखने के लिये हमारे साथ है। इसमें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिये। मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो घटना घटी है जो तीन आदमी इसके लिये जिम्मेदार हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, वे कौन हैं? ये वही हैं जो यशपाल कपूर के प्रस्तावक हैं। 71 के पिछले चुनाव में, राष्ट्रपति के चुनाव के समय प्रस्ताव स्वयं इन्दिरा गांधी करती हैं और अन्तर आत्मा की आवाज पर वोट दूसरे को दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता की तरफ से यह कहना चाहता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनके समर्थकों का जो डिजाइन्ड षड़यंत्र है उस चैलेंज को स्वीकार करने के लिये मैं जनता पार्टी की सरकार को सचेत करना चाहता हूं।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने अभी हाल में यह भी कहा कि संसद में आने का उनका कोई इरादा नहीं है, बाहर भी बहुत से काम पड़े हुए हैं और उनकी शुरुआत उनके लोगों ने आज इस सदन में की है ताकि संसदीय प्रणाली इस देश में न चल सके। आज सी0 पी0 आई0 के लोग भी संसदीय प्रणाली की बात करते हैं। उनमें हिम्मत नहीं है साफ कहने की। उनके लीडर ने विधान परिषद् में क्या कहा है यह हम सबके लिये विचारणीय है। संसदीय कार्य मंत्रीजी ने जो प्रस्ताव रखा है उसमें मेरा संशोधन इसी कारण है ताकि लोगों को यह कहने का मौका न मिले कि एक पक्षीय समिति बना ली गयी, विशेष प्रकार के लोगों की समिति बना ली गयी। मुझे विश्वास है कि मेरे संशोधन को माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी अपने प्रस्ताव में इनकारपोरेट कर लेंगे।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

(शेम-शेम की आवाजें)

कृपा कर सुनिये। श्रीमन्, जैसे ही मैंने विरोध का नाम लिया मेरे मित्र चिल्लाने लगे। (व्यवधान) आप मेरे तर्क को सुनिये बहुमत आपका है। इतना बड़ा बहुमत है कि जो प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है वह तो पास हो ही गया है और जो दिवे जी ने पेश किया है उसको भी आप पास कर देंगे। श्रीमन्, मैं इसलिये कह रहा हूं कि मुझे आज बड़ी खुशी हुई कि जनतंत्र की दुहाई देने वाले लोग आज कम से कम जनतंत्र की बात करने लगे हैं। मान्यवर, अभी आपने एक शब्द के ऊपर टोका था। 'कुत्ते' शब्द का इस्तेमाल किया गया था। इसके बारे में यह भी आपने कहा कि यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा। माननीय मालवीय जी कह रहे थे कि यह संसदीय शब्द है। मालवीय जी स्वायत्त शासन मंत्री

[श्री ऊदल—]

हैं, इसलिये मुझे दुख नहीं है. . . (व्यवधान) । आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के समय जो दुर्व्यवहार हुआ वह आपकी समझ में आया । श्रीमन्, दुर्व्यवहार के हम लोग हमेशा विरोधी रहे हैं । आपने देखा होगा कि दसियों वर्ष हो गये, न तो व्यक्तिगत और न हमारी पार्टी की तरफ से ऐसा आचरण कभी किया गया हो ।

आप आज जनतंत्र को ओझा जी के शब्दों में माने या न मानें किन्तु ऐसा आचरण क्या नहीं हुआ ? इस माननीय सदन का कोई शीशा हो, उस पर आप अपना चेहरा देख लें. . . (व्यवधान) । माननीय मालवीय जी, माननीय दिघे जी, माननीय कल्याण सिंह जी (वे इस वक्त नहीं है), माननीय रावत जी और हमारे भाई माननीय कृषि मंत्री जी आदि ने कितनी शिरकत की थी, माननीय अग्रवाल जी, शाही जी, कालीचरण जी, हमारे बोस जी, शतरुद्र प्रकाश जी, राम अधार राय जी, बांके लाल जी, ओझा जी, हरिकेवल प्रसाद जी आदि ऐसे सैकड़ों सदस्य हैं । श्रीमन्, आप तो संसद में थे, 1974 में जब माननीय अकबर अली खां राज्यपाल थे उनकी जो दुर्दशा इन्हीं जनतंत्र की दुहाई देने वाले माननीय सदस्यों ने जो आज मंत्रियों की कुर्सियों पर बैठे हुये हैं. . . (व्यवधान) ।

स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री सत्य प्रकाश)—

मान्यवर, यह नाम लेकर आरोप लगा रहे हैं, यह सरासर गलत है ।

श्री ऊदल—

मुझे बड़ी खुशी है । मान्यवर, इतना ही नहीं किया, कागज के बंडल बनाकर माननीय राज्यपाल को मारा और उनके ऊपर फेंका । इस तरह से जनतंत्र की दुर्दशा हुई ।

(व्यवधान)

एक सदस्य—

जो बात पहले सदन में निर्णीत हो चुकी है उस पर बहस नहीं होनी चाहिए ।

श्री ऊदल—

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप बहुमत में है, अपने आचरण को पहले ठीक कीजिये (व्यवधान) अगर हम आपकी बात गौर से सुनते हैं तो आपको भी सुनना चाहिये । शांति से बात सुनने के लिये धैर्य होना चाहिये । सरकार का कर्तव्य होता है कि वह तीखी से तीखी बात सुने । मैं कोई अनुचित बात नहीं कर रहा हूं । जो आखों से देखा वह कह रहा हूं आपने कितनी सिरकत की उसे आप कबूलेंगे । आप उसे जानते हैं जो आदर्श आप लोगों ने यहां उपस्थित किया था वह सब जानते हैं । आप कमेटी बना लीजिये, आचरण के बारे में बात कर लीजिये, आचरण किस प्रकार का होना चाहिये इसमें किसी की दो राय नहीं हो सकती । संसदीय प्रणाली ठीक से चले, लोग अपने विचारों को ठीक से व्यक्त कर सकें और उनकी बातें ठीक से सुनी जाय इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये । आज माननीय दिघे जी को ज्ञान हो गया और माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक भर्त्सना प्रस्ताव रखा कुछ माननीय सदस्य आज उससे आगे बढ़ गये हैं वे माननीय सदस्यों को निकालने की बात कर रहे हैं । मै समझता हूं कि आप कुर्सी पर आ गये हैं, सत्ता में आ गये हैं तो कुछ आचरण हम लोगों को भी सिखा दीजिये । हम कम्युनिस्ट पार्टी के हैं आपको विश्वास हो या न हो लेकिन आपके अंदर और पूरी जनता पार्टी के अंदर यह भावना हो कि हम जनतंत्रीय परम्परा में विश्वास नहीं करते हैं तो यह आपको मुबारकबाद आपकी नासमझी को मुबारक बाद है । उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे । जहां तक हमारे आचरण का सवाल है हमारी पार्टी श्रीमन्, सन् 1952

से लेकर आज तक चाहे कम संख्या में रहे हों या ज्यादा लेकिन हमारा आचरण इस माननीय सदन में ऐसा नहीं रहा है कि जिसके बारे में अंगुली उठाई जाय। (व्यवधान) श्रीमन्, एक बात और कहना चाहता हूं. . . . . .

श्री दशरथ सिंह (जिला गोंडा)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय ऊदल जी ने अपने बयान में कहा है कि 1974 में माननीय राज्यपाल को मारा गया और उनको गंदे शब्द कहे गये। इसको प्रोसीडिंग से निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, मैंने यह कहा कि कागज के पुलंदे बना कर फेंके गये। यह सच बात है मैं इस बात को साबित कर सकता हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह भर्त्सना का प्रस्ताव जो मुख्यमंत्री जी ने पेश किया वह भी गलत है और जो दिघे जी ने, इतने साल हमारे साथ रहने के बाद, जो आज संसदीय कार्य मंत्री हैं उनमें यदि बुद्धि का विकास हो गया है तो मुझे खुशी है, वह हमारे पुराने सहयोगी हैं जो उन्होंने प्रस्ताव रखा है वह भी गलत है। वह आज जिसको चाहे अपनी संख्या के बल पर, सरकार के बल पर निकाल सकते हैं। हमने यह भी देखा है कि जब कारपोरेशन बिल आया था आप जानते हैं हम लोगों को पूरे सदन से निकाल दिया गया था। अगर आप संसदीय प्रथा में संख्या-सुर के बल पर हमको निकालना चाहते हैं, तो उसका मुकाबला करने के लिए हम तैयार हैं। यह चंद सवाल हैं जिनको मैंने सदन में रखा है। आप हमको निकाल सकते हैं हमें निकलना पड़ेगा। मैं इन शब्दों के साथ दोनों प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। जो हमारे भाई ने अभी कहा है कि राज्यपाल अकबर अली को मारा गया था और उनके लिए अश्लील शब्द इस्तेमाल किए गए थे, इस पर मैं उनके खिलाफ विशेषाधिकार का प्रश्न सदन में लाने की सूचना दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष—

आप लिखकर दीजिएगा।

एक सदस्य—

मैं एक व्यवस्था चाहता हूं, जब इस पर एक कमेटी बनाई जा रही है तो यह विवाद क्यों हो रहा है?

*श्री मैनेजर सिंह (जिला बलिया)—

माननीय अध्यक्ष, संसदीय कार्य मंत्री ने जो प्रस्ताव पेश किया है, मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। मैं अपने साथी ऊदल जी से निवेदन करना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मैनेजर सिंह—]

उन्होंने कहा, संख्या के बल पर प्रस्ताव लाया गया है यदि हमें वैसा ही करना होता तो दूसरा प्रस्ताव लाया गया होता। जो घटनाएं यहां घटित हुई हैं, वह माननीय सदस्यों के सामने हुई हैं और उन्होंने भी देखा है कि किन माननीय सदस्यों ने अप्रिय कार्य किया और किन सदस्यों ने हिंसा का कार्य किया है। फिर भी उनको दण्ड देने का कोई सीधा प्रस्ताव संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्तुत नहीं किया है, बल्कि एक सदन की समिति की बात कही है, जो इस मामले पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर अपनी संस्तुति देगी और उसके अनुसार उचित निर्णय सदन लेगा। इस प्रकार का अभियोग हमारे साथी ऊदल जी को नहीं लगाना चाहिए था। उनको तो बधाई देनी चाहिए जनता पार्टी और संसदीय कार्य मंत्री को कि उन्होंने समिति का प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत किया है।

श्रीमन्, मैं इस सम्बन्ध में दो बातें निवेदन करना चाहता हूं। एक तो इस सवाल पर समिति का प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर आवे और उस पर जल्द ही सदन का निर्णय हो जाना चाहिये। दूसरे, इसमें दो तरह की वारदातें हुई हैं, इस सदन में। एक तो संसदीय मर्यादाओं के विपरीत आचरण हुए, कुछ साथियों नें नारे बाजी की, मेज पर खड़े हो गए या मंच पर पहुंच कर शोरगुल किया। ..

श्रीमन् एक दूसरा प्रश्न है। हमारे माननीय सदन के कुछ मित्रों ने हिंसा का कार्य किया, डंडा फेंकना, कुर्सी फेंकना, जूता और चप्पल फेंकना, ऐसे हिंसा के कार्य हैं जिनको जनतंत्रीय प्रणाली में बरदाश्त नहीं किया जा सकता। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि महाराष्ट्र की विधान सभा में एक बार एक पेपर वेट फेंकने का कार्य एक सदस्य ने किया था, उनको निष्कासित कर दिया गया था सदन की सदस्यता से। जिन लोगों ने हिंसा का कार्य किया है उनकी एक अलग सूची बननी चाहिए। उनके लिये कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

हिंसा में विश्वास करने वाले, और हिंसा का आचरण करने वाले लोगों का विधान सभा में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। उनका स्थान बाहर होना चाहिए। ऐसे सदस्यों को निष्कासित करें। समिति छानबीन करे कि किन-किन माननीय सदस्यों ने हिंसा का कार्य किया है और उनका निष्कासन होना चाहिए। कोई दूसरा विकल्प नहीं होना चाहिए। दूसरे माननीय सदस्य और तरह के मर्यादा भंग के कार्य किये हैं उनके लिये समिति का जो सुझाव हो उसको सदन को मानना चाहिए। श्रीमन्, निवेदन करना चाहता हूं कि हम इस पक्ष में बैठें या विपक्ष में बैठें ऐसे अवसर आने पर हमें मर्यादित ढंग से आचरण करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष—

आप अब समाप्त करें।

श्री मैनेजर सिंह—

माननीय राज्यपाल का अभिभाषण ऐसा अवसर है जब किसी प्रकार का कोई प्रदर्शन या अप्रिय कार्य नहीं होना चाहिए। मैं बहुत वर्षों तक विपक्ष में रहा हूं। लूला लंगड़ा सदस्य नहीं हूं। सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करता आया हूं। राज्यपाल के अभिभाषण पर किसी प्रकार के प्रदर्शन का मैंने समर्थन नहीं किया। व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को मानता हूं कि राज्यपाल प्रदेश के प्रतीक होते हैं। उनके सामने किसी प्रकार का विरोध और प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। जो विगत वर्षों में हुए हैं, निन्दनीय है या भविष्य में आने वाले समय में होंगे, निन्दनीय होंगे। सदन में विरोध का स्थान है। आप वाक आउट कर सकते हैं। अपनी बात कह सकते हैं। लेकिन सदन में धरना देना, उनको टांग कर

निकाला जाना यह नाटक करना, यह भी निन्दनीय है, पहले भी था और आज भी है और भविष्य में होगा। यह माननीय सदन की मर्यादा के विरुद्ध है। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार करें, इस सदन की मर्यादा को कायम रखने के लिये, अपने को मर्यादित करें, नियंत्रित करें तब सदन की गरिमा कायम रहेगी। इन शब्दों के साथ मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। समिति दो तरह की सूची तैयार करे।

श्री अध्यक्ष—

अब आप पुनरावृत्ति कर रहे हैं। समाप्त करें।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—]

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य, श्री ऊदलजी को सुन रहा था।

श्री हरीसिंह—

आपने मौका नहीं दिया। क्या इन्दिरा सरकार की तरह...

श्री शतरुद्ध प्रकाश—

मैं इतना कहना चाहूंगा कि ऊदल जी से कि 1974 में जो घटना हुई उस समय आपने क्या रवैया अपनाया था और आज क्या अपना रहे हैं? दोनों में विरोधाभास है। उस समय चूंकि इन्दिरा कांग्रेस का शासन था और आप उसके सहयोगी थे उस समय आपने बहुत बुरा माना था और आज जब यह इन्दिरा कांग्रेस के साथ हैं तो आप को यह काम अच्छा लग रहा है। इस जगह पर विरोधाभास है और वह कम्युनिस्ट पार्टी के लिये नया नहीं है। मान्यवर, मैं एक बात साफ कह देना चाहता हूं कि जहां तक सिद्धांत का सवाल है, हमारी पार्टी और हम व्यक्तिगतरूप से सत्याग्रह को मानते हैं। सदन के अन्दर नारा लगाना या सत्याग्रह करना, मोरारजी से लेकर और जितने जनता पार्टी के नेता हैं, वह जनतंत्र के प्रतिकूल नहीं हैं, लेकिन विधान सभा के अन्दर जूता फेंकना, माइक को उठाकर फेंकना, इस तरह की जो घटनायें हैं, वह हिंसा ही नहीं है बल्कि वह छिछोरपना है। हिंसा एक संगठित काम के लिये हुआ करती है। आज जो विधान सभा में हुआ है वह हिंसा नहीं है, वह छिछोरापन है और उसकी जितनी निन्दा की जाय वह कम है। मैं समझता हूं कि जो माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्ताव पेश किया है उसका विरोध करने की कोई गुन्जाइश नहीं है लेकिन एक बात बहुत साफ है कि हमारे कुछ दूसरे लोगों ने महाराष्ट्र के चुनाव को देखकर, अपने दिमाग में गलतफहमी भर ली है।

श्री जगजीवन राम जब बनारस आये तो लोगों ने क्या किया यह सभी को मालूम है और आज एक हरिजन राज्यपाल उत्तर प्रदेश का बोलने जा रहा था तो उसको बोलने नहीं दिया गया और मान्यवर, जूते तक फेंके गये और मारने तक की धमकी दी गयी। क्या हरिजन समर्थक ऐसा कर सकते हैं यह तो हरिजनों की जबान बन्द करने की बात है। चौधरी चरण सिंह हरिजन विरोधी नहीं हैं बल्कि कांग्रेस पार्टी है जो हरिजन विरोधी है। उसने आज ऐसा काला काम, गवर्नर महोदय के सामने किया है। मैं जानना चाहता हूं कि वर्षों का विधान सभा का ज्ञान तिवारी जी का कहां चला गया, आज जो उनकी पार्टी

*वक्ता नें भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री शतरुद्ध प्रकाश—]

ने किया है उससे संसदीय परम्पराओं का सिर झुक गया है। हम विरोध में बैठे हैं और आने वाले दिनों में बैठेंगे भी, लेकिन इस तरह का गिरा हुआ काम हमसे नहीं होगा महात्मा गांधी और जय प्रकाश नारायण से शिक्षा ली है। हम महात्मा गांधी और डा० लोहिया के सिद्धांतों को मानते हैं, लेकिन सत्याग्राह के नाम पर महात्मा गांधी के नाम पर हम जूते और चप्पलें चलावें, गाली दें और माइक फेंक कर मारें तो राजनीति नहीं है, यह गुण्डागर्दी है।

आज लखनऊ में प्रदर्शन हो रहा है। मजदूरों और किसानों की ओर से आवाज बुलन्द की जा रही है। यह सब नाटक किया जा रहा है और यह नाटक पूंजीपतियों के पैसे से किया जा रहा है। यह नाटक है। आज कांग्रेस पार्टी ने विधान सभा में जो नाटक दिखाया है वह अशोभनीय है। वास्तव में यह संविधान की धारा 176 का उल्लंघन किया गया है। पंजाब में 1966 में इसी तरह की घटना हुई थी कि राज्यपाल के सम्बोधन के समय जूते, चप्पलें चली थीं और इसी तरह का प्रयास किया गया था, संयुक्त अधिवेशन चल रहा था। बाद में एक कमेटी बना दी गयी थी और उस कमेटी नें यह निर्णय लिया था कि यह संविधान की धारा 176 का उल्लंघन है और संसदीय अपराध है। मान्यवर, केवल संसदीय अपराध ही नहीं बल्कि संसदीय शिष्टाचार और परम्पराओं के विरुद्ध आचरण किया गया है मैं निवेदन करूंगा कि जो माननीय दिघे जी ने प्रस्ताव रखा है उससे हम लोग सहमत हैं। आप एक समिति बनाइये ताकि भविष्य में जितने भी राजनीतिक दल हैं वे इतना ओछा और गिरा हुआ काम न करें। प्रदर्शन करें, नारे लगायें, लेकिन ऐसी ओछी बातों का प्रदर्शन न करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय दिघे जी माननीय जनार्दन प्रासाद ओझा ने एक संशोधन दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि समिति में 11 की संख्या से बढ़ाकर 15 कर दी जाय और प्रत्येक विरोधी दल का भी एक एक सदस्य उसमें रहे। इस सम्बन्ध में आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यहां से माननीय दिघे जी ने एक प्रस्ताव रखा अगर इस पर कोई संशोधन आना था तो उसी समय आना चाहिए था ताकि हम लोग अपने-अपने विचार रखते। चूंकि बीच में संशोधन लाया गया है इसलिये आप हमें बोलने का मौका दें। संशोधन भी एक प्रकार से प्रस्ताव ही है। आपको इस संशोधन को वाक आऊट करना चाहिए। वह संशोधन मान्य हो या न हो वह तो दूसरी बात है। जो लोग बोल चुके हैं, अगर यह संशोधन आता है तो उनको अपने विचार व्यक्त करने का मौका नहीं मिलेगा।

श्री अध्यक्ष—

संशोधन पेश करने के लिये मैंने माननीय ओझा को जो अनुमति दी थी और उन्होंने अपना संशोधन पेश किया। संशोधन में केवल यह है कि सदस्यों की संख्या 15 कर दी जाय, यह स्वीकार करते हैं या अस्वीकार करते हैं ?

श्री मधुकर दिघे—

मैं आरम्भ में ही इस सम्बन्ध में बोलना चाहता था। अब बोलने के बजाय मैं माननीय ओझा जी से निवेदन करूंगा कि वे अपना संशोधन वापस ले लें क्योंकि समिति में 11 सदस्यों की संख्या काफी बड़ी होती है।

श्री अध्यक्ष---

श्री ओझा जी, आप अपने संशोधन को वापस लेना चाहते हैं ?

एक सदस्य---

वे इस समय सदन में उपस्थिति नहीं हैं ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा के सदन में उपस्थिति न होने पर)

श्री अध्यक्ष---

माननीय दिघे जी आप इस पर कुछ और कहना चाहते हैं या मैं प्रश्न उपस्थित कर दूं ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री अध्यक्ष---

अब मैं संशोधन ले रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि समिति में 11 की जगह 15 सदस्य रहें एवं प्रत्येक विरोधी दल का भी एक-एक सदस्य उस समिति में रहे ।

(प्रश्न उपस्थिति किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---

अब मैं मूल प्रस्ताव ले रहा हूं ।

श्री हरी सिंह---

श्रीमन्, मैं बार-बार खड़ा हुआ, लेकिन आपने मुझे बोलने का असवर नहीं दिया ।

श्री अध्यक्ष---

आपका वक्त कीमती रहा है, उसको सुरक्षित रखिए ।

श्री श्यामधर मिश्र---

मान्यवर, प्रस्ताव पर बहस हुई है । इस पर माननीय मंत्री जी तो अपनी राय दें, हम उनकी राय जानना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष---

राय तो प्रस्ताव पेश करते हुए दे दी है ।

श्री हरी सिंह---

मान्यवर, मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष---

मैं आपको बोलने की इजाजात नहीं दे रहा हूं । इस पर बोलना आवश्यक नहीं है ।

माननीय मंत्रीजी ने अपनी राय सुना दी कि एक समिति बना दी जाय जो इस सारे मामले की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट 15 दिन के अन्दर दे देगी । उस पर और आप क्या पूछना चाहते हैं, कोई विशेष प्रश्न हो, तो पूछ लें ।

अमेण्ड मेंट को सदन ने अस्वीकृत कर दिया है ।

श्री मधुकर दिघे—

अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी शंका का निवारण कर दूं। माननीय मिश्र जी को जो दो नाम मैंने दिये और "आदि" लिखा, उसमें थोड़ी सी शंका उत्पन्न हो गयी है। मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह केवल इसलिये किया गया, जैसा कि मैंने प्रस्ताव को रखते वक्त कहा, कई ऐसे कर्मचारी हैं जिनको मारा गया, काटा गया, दांत तोड़ दिया गया, कई को चोटें लगी। दो आदमी ऐसे थे जिनको मैंने इंगित किया। जिनको कि सब लोगों ने देखा था और मेरी जानकारी में थे, उनका नाम मैंने प्रस्ताव में रख दिया और "आदि" लिख दिया तो जब आपके सामने गवाही आयेगी तो उस समय आपको सुविधा होगी कि ऐस लोगों के नाम भी इंक्लूड कर सकेंगे जो उस समय आयेंगे। यह मेरे कहने से और आपके कहने से उस समय होगा।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं। प्रस्ताव इस प्रकार है "दिनांक 17 मार्च, 1978 को उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों को श्री राज्यपाल द्वारा सम्बोधन के अवसर पर इस सदन के सदस्य श्री सुन्दर लाल दीक्षित, श्री सुरेन्द्र पाल आदि ने जो अशोभनीय एवं अवांछनीय व्यवहार, जिसमें श्री राज्यपाल के समक्ष जाकर माइक को तोड़ना व फेंक कर मारना, सभा मंच पर जाना, कुर्सियां उठाकर फेंकना आदि सम्मिलित है, किया है, उसके सन्दर्भ में उनके आचरण एवं व्यवहार की सविस्तार जांच करने तथा उनके विरुद्ध उचित दण्ड का सुझाव देने हेतु सदन की एक समिति, जिसमें 11 से अनधिक सदस्य हों, माननीय अध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित की जाय, जो अपना प्रतिवेदन 15 दिन के अन्दर सदन को प्रस्तुत करे।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

कल इस कमेटी की घोषणा कर दी जायगी जो 15 दिन में अपनी रिपोर्ट सदन के सम्मुख प्रस्तुत करेगी।

(व्यवधान)

विधान सभा के कतिपय सदस्यों द्वारा कांग्रेस दल बनाने की घोषणा तथा कांग्रेस (आई०) के नेता श्री नारायण दत्त तिवारी की नेता विरोधी दल की मान्यता का वापस लिया जाना

श्री अध्यक्ष—

आप लोग सुनिये श्री श्यामधर मिश्र ने मुझको लिखित दिया है। उन्होंने सूचित किया है, "विधान सभा कांग्रेस दल जिसके अध्यक्ष सरदार स्वर्णसिंह जी हैं, के हम निम्नलिखित सदस्यगण श्री श्यामधर मिश्र को कांग्रेस का नेता चुना है और श्री नारायण दत्त तिवारी हमारे कांग्रेस दल के नेता नहीं है। अतः आपसे प्रार्थना है कि कांग्रेस दल को पृथक् बैठने और सचिवालय में अलग कमरे की व्यवस्था करें। साथ ही जो और भी सुविधायें दी जाती हैं, देने की कृपा करें।"

10 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके दिया है।

एक सदस्य—

नाम बता दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

श्री मथुरा प्रसाद पाण्डे, श्री श्यामधर मिश्र, आचार्य धर्मदत्त वैद्य, श्री देव बहादुर सिंह, श्री भीमा प्रसाद, श्री सत्यपाल सिंह यादव, श्री चन्द्रसेन सिंह और श्री रणजीत सिंह जूदेव तथा दुर्ग विजय सिंह एक नाम और हैं—श्री लक्ष्मी शंकर यादव।

10 लोगों ने सूचना दी है। अब मैं इनको एक समुदाय के रूप में मान्यता देता हूं और पृथक बैठने तथा एक कमरे को व्यवस्था की जायगी।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

एक व्यवस्था का प्रश्न है कि नारायण दत्त तिवारी....

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें।

नियम के अनुसार विरोधी पक्ष में एक नेता को मान्यता देने का अध्यक्ष को अधिकार है, लेकिन अब तक की परम्परा यह है कि उसी दल को मान्यता दी जा सकती है जो कोरम बनाने की क्षमता रखता हो यानी कम से कम 1/10 सदस्य हों। इस तरह की परम्परा लोक सभा और राज्य सभा में भी है। यहां पर किसी भी दल को दल की मान्यता देने के लिये कम से कम 43 सदस्यों की आवश्यकता है। कांग्रेस दल की सदस्य संख्या 46 थी और 10 सदस्य पृथक् हो गये। इस तरह से उनकी संख्या घट कर 36 रह गयी। जिस दल के नेता श्री नाराणदत्त तिवारी हैं, उसकी संख्या अब 36 रह गयी। (व्यवधान) कांग्रेस (आई0) की संख्या 36 हो गयी। इसलिये अब यह दल नहीं रह गया। वह एक समुदाय रह गया है। इसलिये अब तक उनको जो माननीय नेता विरोधी दल की सुविधायें उपलब्ध थीं, वे अब नहीं मिल पायेंगी। उनका दल एक समुदाय होगा। श्री श्यामधर मिश्र को, जो स्वर्ण सिंह कांग्रेस के नेता हैं, उनको भी अपने इस समुदाय के नेता की मान्यता दी जाती है। श्री नारायणदत्त तिवारी को जो नेता विरोधी दल की मान्यता अब तक प्राप्त थी, वह वापस ली जाती है।

लखनऊ के गन्ना किसानों द्वारा किये गये प्रदर्शन के संबंध में जानकारी की मांग

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

मैं श्रीमन्, बड़े खेद के साथ एक सूचना देना चाहता हूं। आज प्रदेश के गन्ना किसान गन्ने के प्रश्न को लेकर आ रहे थे। उनके प्रदर्शन पर इस सरकार द्वारा लाठी चार्ज किया गया और फायरिंग भी हुई। (शोर) (व्यवधान)।

श्री श्यामधर मिश्र (जिल वाराणसी)—

हम यह जानना चाहते हैं कि स्थिति क्या है ? स्थिति की जानकारी चाहते हैं।

*मुख्य मंत्री (श्री रामनरेश यादव)—

मान्यवर, आज यहां सदन में, सदन के वातावरण को जिस प्रकार से विषाक्त बनाने का प्रयास किया गया विषाक्त ही नहीं, जिस प्रकार से अशोभनीय कार्य किया, यहां पर कार्य करने वाले दो रक्षकों को जिस प्रकार से पीटा गया और मारा गया, जिनकी की हालत चिन्ताजनक है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनरेश यादव–]

वे अस्पताल में पड़े हैं, जिस प्रकार से हमारे माननीय सदस्यों के ऊपर प्रहार किया गया और माइक के डंडे से मारा गया, उनका डाक्टरी मुआयना भी हुआ है, यह सब सिद्ध करता है कि यह लोग जो उस तरफ बैठे हैं किस तरह से प्रदेश में अशान्ति का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। मैं आज यह साफ कहना चाहता हूं कि अगर प्रदेश में अराजकता का वातावरण पैदा किया जायेगा तो शासन उसे किसी भी तरह बरदाश्त करने को तैयार नहीं है।

लोकतंत्र में आस्था रखने के नाते यह अवश्य है कि आप को, जो विपक्ष में बैठे हैं, आलोचना करने का अधिकार है, लेकिन इस बात का अधिकार नहीं है कि प्रदेश की जनता, जो शान्ति से रहना चाहती है आप उसे शान्ति से न रहने दें, अशान्ति का वातावरण पैदा करें, अराजकता की स्थिति पैदा करें। यह नहीं होने दिया जाएगा। अगर प्रदेश में, सदन के बाहर, सड़कों और गलियों में, अशान्तिपूर्ण वातावरण पैदा करने का प्रयास किया जायगा तो शासन उसे कतई बरदाश्त करने को तैयार नहीं है (मेजों की थपथपाहट) (व्यवधान)

इन दिनों जिस प्रकार की भूमिका इन प्रदर्शनों को लेकर समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जा रही है, जिस प्रकार से आपके इलाहाबाद के एक नेता का यह बयान आया कि हिंसा का वातावरण पैदा किया जायेगा, मैं साफ कहना चाहता हूं कि अगर ऐसा किया गया तो उसे यह सरकार बरदाश्त नहीं करेगी। (शोर–व्यवधान)

श्री रियासत हुसेन––

इस वक्त स्थिति क्या है यह तो बतायें आप ?

श्री राम नरेश यादव––

अगर वे लोग आते हैं प्रदर्शन करने के लिये तो जुलूस लगा कर आप सभा करें, हमने उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया। हमने सरकार में रहने के नाते आपको मौका दिया। हम आपको विश्वास दिलाते हैं और कहना चाहते हैं, अगर आपने वहां पर कोई ऐसी स्थिति पैदा की होगी, तो जरूर कुछ कार्यवाही हुई होगी।

(शोरगुल)

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)––

लाठी चार्ज के बारे में मान्यवर, पूछ रहे हैं।

श्री श्यामधर मिश्र –

श्रीमन्, मेरा निवेदन केवल एक है कि क्या हुआ ? किन कारणों से लाठी चार्ज हुआ? क्या वाकयात हैं ? वह अगर मालूम हो गया हो, तो वह हम लोगों को बता दीजिए?

श्री राम नरेश यादव––

अभी दो घंटे पूर्व जिस प्रकार से सदन के अन्दर प्रदर्शन किया गया था, उसी प्रकार से बाहर जाकर क्या स्थिति पैदा हुई, इस बात की जानकारी करने के बाद ही सूचना सदन को दी जा सकती है।

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहिये। (व्यवधान)

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष---

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी 16 मार्च, 1978 की बैठक में यह सिफारिश की है कि सदन का उपवेशन 27 मार्च, 1978 को, जो सार्वजनिक अवकाश है, भी हो तथा सदन के 17 मार्च, 1978 से 28 अप्रैल, 1978 तक के उपवेशनों में निम्नलिखित कार्यक्रम रखा जाय :--

शुक्रवार	17 मार्च, 1978 12.30 बजे अपराह्न से	औपचारिक कार्य यथा, श्री राज्यपाल के अभिभाषण का पढ़कर सुनाया जाना, विज्ञप्तियों, नियमों, आदि का सदन के पटल पर रखा जाना आदि ।
शनिवार	18 मार्च, 1978	वित्तीय वर्ष 1977–78 के अनुपूरक अनुदानों के प्रस्तुतीकरण के उपरान्त श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।
रविवार	19 मार्च, 1978	बैठक नहीं होगी ।
सोमवार	20 मार्च, 1978	वित्तीय वर्ष 1977–78 के अनुपूरक अनुदानों पर सामान्य चर्चा, मांगों पर मतदान तथा, तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन उस पर विचार एवं उसका पारण ।
मंगलवार	21 मार्च, 1978	बैठक नहीं होगी । (11वीं शरीफ की छुट्टी)
बुधवार	22 मार्च, 1978 4.00 बजे अपरान्ह	1—श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।
		2—वित्तीय वर्ष 1978–79 के आय-व्ययक का प्रस्तुतीकरण ।
		3—वित्तीय वर्ष 1978–79 के एक भाग के लिए लेखानुदान का प्रस्तुतीकरण ।
	5.00 बजे अपरान्ह	4—लेखानुदान के प्रस्ताव पर विचार, मांगों पर मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।
गुरुवार	23 मार्च, 1978	बैठक नहीं होगी ।
शुक्रवार	24 मार्च, 1978	बैठक नहीं होगी । (होली का अवकाश)
शनिवार	25 मार्च, 1978	
रविवार	26 मार्च, 1978	
सोमवार	27 मार्च, 1978	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।
मंगलवार	28 मार्च, 1978	असरकारी कार्य ।
बुधवार	29 मार्च, 1978	श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा ।
गुरुवार	30 मार्च, 1978	विधायी कार्य ।

शुक्रवार	31 मार्च, 1978	बैठक नहीं होगी।
शनिवार	1 अप्रैल, 1978	
रविवार	2 अप्रैल, 1978	
सोमवार	3 अप्रैल, 1978	
मंगलवार	4 अप्रैल, 1978	विधायी कार्य।
बुधवार	5 अप्रैल, 1978	
गुरुवार	6 अप्रैल, 1978	
शुक्रवार	7 अप्रैल, 1978	वित्तीय वर्ष 1978–79 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।
शनिवार	8 अप्रैल, 1978	बैठक नहीं होगी।
रविवार	9 अप्रैल, 1978	
सोमवार	10 अप्रैल, 1978	वित्तीय वर्ष 1978–79 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा।
मंगलवार	11 अप्रैल, 1978	
बुधवार	12 अप्रैल, 1978	
गुरुवार	13 अप्रैल, 1978	
शुक्रवार	14 अप्रैल, 1978	असरकारी कार्य।
शनिवार	15 अप्रैल, 1978	बैठक नहीं होगी।
रविवार	16 अप्रैल, 1978	
सोमवार	17 अप्रल, 1978	वित्तीय वर्ष 1978–79 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान।
मंगलवार	18 अप्रैल, 1978	
बुधवार	19 अप्रैल, 1978	
गुरुवार	20 अप्रैल, 1978	
शुक्रवार	21 अप्रैल, 1978	बैठक नहीं होगी। (महावीर जयन्ती का अवकाश)
शनिवार	22 अप्रैल, 1978	बैठक नहीं होगी।
रविवार	23 अप्रैल, 1978	
सोमवार	24 अप्रैल, 1978	वित्तीय वर्ष 1978–79 के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान।
मंगलवार	25 अप्रैल, 1978	
बुधवार	26 अप्रैल, 1978	
गुरुवार	27 अप्रैल, 1978	
शुक्रवार	28 अप्रैल, 1978	
	2.00 बजे अपराह्न तक	
	2.00 बजे अपराह्न से 5.00 बजे अपराह्न तक	असरकारी कार्य।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि जो कार्यमंत्रणा समिति ने सिफारिश की है और जिसकी सूचना अभी माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गई है, यह सदन उससे सहमत है ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा की गयी सिफारिश से जिसकी सूचना अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथा समय संदाय) विधेयक 1978 †

श्रम मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)---

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथा समय संदाय) विधेयक, 1978 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथा समय संदाय) विधेयक, 1978 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गणेश दत्त बाजपेयी---

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश औद्योगिक शान्ति (मजदूरी का यथासमय संदाय) विधेयक, 1978 को आपकी अनुमति से पुर:स्थापित करता हूं ।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, मैंने माननीय मुख्य मंत्री से एक सूचना मांगी थी उन्होंने सूचना देने से इनकार कर दिया, इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री रियासत हुसेन सदन त्याग कर चले गये ।)

उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन विधेयक, 1978†

श्रम मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)---

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन विधेयक, 1978 को पु:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन विधेयक, 1978 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

†दिनांक 17 मार्च, 1978 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश प्रतिस्थानी मजदूर नियोजन विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

अब हम उठते हैं कल फिर 11 बजे मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 3 बजकर 31 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
17 मार्च, 1978

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिए नत्थी 'क' पीछे पृष्ठ 6 पर)

(श्री राज्यपाल द्वारा दिया गया अभिभाषण)

माननीय सदस्यगण,

उत्तर प्रदेश का राज्यपाल होने के बाद यह पहला अवसर है कि आपको सम्बोधित कर रहा हूं। इस अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश राष्ट्र का हृदय है और मेरी यह कामना है कि यह उर्वरा भूमि अपने पूरे संसाधनों व सामर्थ्य का उपयोग करके दस करोड़ निवासियों का जीवन स्तर उठाकर देश को भी समृद्ध करेगी। हमारे प्रदेश की छियासी प्रतिशत जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। मेरी सरकार का यह निर्णय कि 'गांव की ओर चलो' प्रदेश के विकास की सही दिशा है। मेरी सरकार ने अपने इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु आठ-नौ महीनों की अल्पावधि में जो कार्य किया है उससे प्रकट है कि वह अपने लक्ष्यों की पूर्ति हेतु आगे बढ़ती जा रही है।

मेरी सरकार ने सबसे पहले लोकतंत्र को, जिसपर एमरजेन्सी में प्रहार हुआ था, फिर से प्रतिष्ठित करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। एमरजेन्सी के दौरान समाचार-पत्रों पर विधान मण्डल की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण वापस ले लिया गया था। उसे फिर से देने के लिये एक अधिनियम पारित किया गया। संविधान में बयालिसवें संशोधन द्वारा कई आपत्तिजनक संशोधन एमरजेन्सी के दौरान किये गये थे। उन्हें समाप्त करने के लिये संसद ने चवालिसवां संशोधन विधेयक पारित किया है जिसे आपके अनुसमर्थन हेतु इसी सत्र में प्रस्तुत किया जायगा। उन सरकारी कर्मचारियों को जो एमरजेन्सी में राजनैतिक कारणों से हटाये गये थे उन्हें फिर से नौकरी में ले लिया गया है और उनको पूरा वेतन व अन्य लाभ दिये गये है। इसी प्रकार, उद्योगों से निकाले गये मजदूरों को भी फिर से काम पर रखवाया गया और उन्हें भी पूरा लाभ दिलाया गया। विद्यार्थियों की यूनियनों के चुनावों व अन्य गतिविधियों पर लगाई गई रोक समाप्त की गई। राजनैतिक प्रकृति के लगभग पांच हजार मुकदमों को वापस लेने की स्वीकृति सरकार ने दी।

मेरी सरकार ने हरिजनों व अन्य पिछड़ी जातियों एवं अल्प संख्यकों के हितों को विशेष प्राथमिकता दी है। हरिजनों के प्रति होने वाले अत्याचारों के मामलों को निपटाने के लिये पुलिस मुख्यालय पर एक विशेष जांच सेल कार्य कर रहा है। इसकी इकाइयां जिलों के मुख्यालयों पर भी काम कर रही है। इन वर्गों पर अत्याचार की घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों व परिवारों को आर्थिक सहायता देने का भी निर्णय लिया गया है। हरिजनों को आबंटित भूमि पर कोई व्यक्ति जबरदस्ती कब्जा करे तो उसे संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया गया है। इस वर्ष एक विशेष अभियान चलाकर एक लाख से अधिक हरिजनों एवं अन्य भूमिहीनों को उनको आबंटित भूमि पर वास्तविक कब्जा दिलाया गया।

पिछड़ी जातियों को पहली बार सरकारी व अर्द्धसरकारी सेवाओं में आरक्षण प्राप्त हुआ है और आयु की सीमा में भी पांच वर्ष की छूट की व्यवस्था की गई है। इंजीनियरिंग व मेडिकल कालेजों की भर्ती में भी इसी प्रकार का आरक्षण लागू होगा। इसके अतिरिक्त दूकानों, मकानों व प्लाटों के आवंटन में भी हरिजनों व पिछड़ी जातियों के लिये पहली बार आरक्षण किया गया है। पिछड़ी जातियों में मुसलमानों की इक्कीस जातियां भी शामिल हैं और उन्हें भी सेवाओं व तकनीकी कालेजों में भर्ती तथा मकानों आदि की आवंटन के सम्बन्ध में यह विशेष सुविधा प्राप्त होगी।

कृषि उत्पादन बढ़ाने की दिशा में मेरी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं। कृषि में लगने वाली फासफेटिक एवं पोटैशिक खादों पर बीस प्रतिशत अनुदान दिया गया है। गांव सभा की भूमि तथा सीलिंग भूमि के नये आबंटियों को दस प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान की सुविधा प्रदान की गयी है। कृषि क्षेत्र में सिंचाई प्रयोजनों के लिये पिछली सरकार ने विद्युत् पर जो प्रतिबन्ध लगाये थे उन्हें दूर कर कृषि के लिये बिजली की आपूर्ति के घंटे बढ़ाये गये तथा नलकूपों को और अधिक बिजली दी गई। प्रदेश के बाढ़ तथा सूखा-ग्रस्त क्षेत्रों में एक एकड़ तक के छोटे किसानों को आधा एकड़ तक के लिये निःशुल्क खाद और बीज दिया गया। कृषि क्षेत्र में किये गये इन कार्यों के फलस्वरूप धान की फसल का इक्यावन लाख मीट्रिक टन का एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ और रबी की फसल का भी नया कीर्तिमान स्थापित होने की आशा है। कुल मिलाकर दो करोड़ मीट्रिक टन अनाज पैदा होने की सम्भावना है।

मेरी सरकार की औद्योगिक नीति विकेन्द्रीकरण की है। आर्थिक विषमता को कम करने, बेरोजगारी को मिटाने तथा विकास की दर को बढ़ाने की दृष्टि से लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्राथमिकता दी जा रही है तथा ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक संवर्धन केन्द्रों की स्थापना द्वारा उपेक्षित क्षेत्रों की प्रगति में भागीदार बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश अपने हस्तशिल्प के लिये संसार में प्रसिद्ध रहा है। इसकी प्रगति उत्तर प्रदेश को पुनः आर्थिक दृष्टि से अग्रणी बना सकती है। हस्तकला के सभी क्षेत्रों को विकसित करने तथा तैयार माल का निर्यात करने के लिये प्रभावी पग उठाये जा रहे है। पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा बुन्देलखण्ड तथा पर्वतीय क्षेत्रों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये इन क्षेत्रों में औद्योगिक बिकास पर बल दिया जा रहा है। सम्पत्ति विहीन वर्गों तथा हरिजनों को उद्योगों का स्वामी बनाने की दृष्टि से भी एक योजना बनाई गयी है। जिन वस्तुओं का उत्पादन लघु एवं कुटीर उद्योग नहीं कर सकते उनके उत्पादन को बढ़ाने के लिये बड़े एवं मध्यम उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है। परन्तु यह उद्योग छोटे उद्योंगों के पूरक उद्योग होंगें। उनसे बजार में प्रतिद्वन्द्विता नहीं करेंगे। इस वर्ष की योजना में इन योजनाओं की पूर्ति के लिये विशेष व्यवस्था की गयी है।

मेरी सरकार बुनकरों की उन्नति के लिये प्रयत्नशील है। उनकी समितियों को सुदृढ़ किया जा रहा है और उन्हें अधिक आर्थिक सहायता देने के लिये कारगर उपाय किये जा रहे है। निर्मित माल की बिक्री हेतु और अधिक शो-रुम तथा भाण्डार गृह खोलने की योजना है। इस महत्वपूर्ण उद्योग को बढ़ावा देने के लिये सघन योजनाओं में विस्तार किया जा रहा है।

मेरी सरकार इस सत्य को साकार करने की लिये कृतसंकल्प है कि सड़के विकास की राह बनाती है। सरकार मैदानी क्षेत्रों में एक हजार पांच सौ बुन्देलखण्ड में एक हजार दो सौ तथा पहाड़ी क्षेत्र में पांच सौ की आबादी वाले गावों के समूहों को मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिये प्रयन्तशील है। इस दिशा में सरकार बढ़ती जा रही है। विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत अभी तक लगभग पांच हजार किलोमीटर अतिरिक्त सड़कों का निर्माण हो चुका है।

मेरी सरकार जन स्वास्थ्य के प्रति पूर्ण रूप से जागरूक है। ग्रामीण जनता को तुरन्त चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिये एक ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक योजना चलाई गयी है। सरकार ने अस्पतालों में रोगियों से ली जाने वाली रजिस्ट्रेशन फीस को समाप्त कर दिया है। आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक चिकित्सा, जो जन सुलभ प्रणालियां हैं, के

विकास के लिये आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान किया है। परिवार कल्याण कार्यक्रम को पूर्णतया स्वेच्छा के आधार पर चलाया जा रहा है। जिसमें मातृ एवं शिशु कल्याण पर विशेष बल दिया जा रहा है।

गांवों में पीने के पानी की अनेक योजनायें चलाई गयी हैं। आगामी वित्तीय वर्ष में इसमें और अधिक विस्तार करने का निर्णय लिया गया है।

मेरी सरकार ने निश्चय किया है कि चार वर्षों में पूरे प्रदेश में मद्यनिषेध लागू कर दिया जाय। इस कल्याणकारी योजना का प्रथम चरण अगले वित्तीय वर्ष से प्रारम्भ हो जायगा।

मकानों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि अब सहकारी समितियों के अतिरिक्त व्यक्तियों को भी मकान बनाने के लिये ऋण दिये जाया करेंगे।

कृषि के क्षेत्र में सरकार की नीति, प्रति हेक्टेयर उत्पादन में वृद्धि, भूमि पर आश्रित व्यक्तियों की संख्या में कमी एवं ग्रामीण अंचलों में रोजगारों के अवसर बढ़ाना, कृषकों को अधिक उत्पादन हेतु प्रोत्साहित करना तथा कृषि निवेशों की समय से आपूर्ति सुनिश्चित करना है। ऊसर व बंजर को भूमिहीन कृषक श्रमिकों द्वारा कृषि योग्य बनाकर उनमें आवंटित करने का कार्यक्रम भी प्रारम्भ किया जा रहा है। इससे निर्बल वर्ग को रोजगार मिलेगा और साथ ही कृषि उत्पादन भी बढ़ाया जा सकेगा।

कृषि क्षेत्र को राहत देने के लिये छोटी जोतों पर से मालगुजारी समाप्त कर दी गई है। इस निर्णय से सत्तर प्रतिशत खेतिहरों को लाभ मिला है। इसके अतिरिक्त, भूमि विकास कर भी समाप्त कर दिया गया है। पिछली सरकार ने बढ़ी हुई मालगुजारी व विकास कर कुल मिलाकर तिरसठ करोड़ रुपये का आरोपण किया था। मेरी सरकार ने किसानों का यह भार घटाया है और अब मालगुजारी का कुल योग केवल उन्तीस करोड़ रुपये रह गया है।

कृषि क्षेत्र में सिंचाई का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। अगले वर्ष के लिये कुल योजना का आकार सात सौ छियासी करोड़ रुपये का रखा गया है। इसमें से लगभग बीस प्रतिशत अकेले सिंचाई के लिये आवंटित है। अगामी वर्ष में लगभग साढ़े छह लाख हेक्टेयर की अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता सृजित हो जायेगी।

कृषि और उद्योग दोनों ही क्षेत्रों की प्रगति के लिये बिजली की आवश्यकता है। मेरी सरकार ने इस आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्रदेश में स्थापित विद्युत् क्षमता को बढ़ाया है और नई परियोजनाओं को स्वीकृत किया है। लोहे के उद्योग पर की गई पूर्ण कटौती के स्थान पर आंशिक कटौती करके उन्हें चालू किया गया। मेरी सरकार ने वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त उद्योगों को, जिन्हें पहले बिजली नहीं मिल रही थी, बिजली देने का प्रयास किया है। कृषि से सम्बन्धित उद्योग, जैसे क्रशर, कोल्ड स्टोरेज तथा चावल मिलों को कनेक्शन देने में उदारता बरती गयी है। लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने प्रत्येक विद्युत खण्ड में एक मेगावाट बिजली, दस हार्स पावर तक के कनेक्शनों को देने के लिये आरक्षित किया है। इस वर्ष प्रदेश में सर्वप्रथम चार सौ किलोवाट की पारेषण लाइन तथा दो सौ मेगावाट का एक थर्मल प्लान्ट चालू किया गया है जो एक गौरवपूर्ण कीर्तिमान है। वार्षिक योजना के आगामी वित्तीय वर्ष में बिजली पर योजना परिव्यय का पैंतीस प्रतिशत से अधिक खर्च करने का प्रस्ताव है। मेरी सरकार नई बिजली परियोजनाओं में गांवों में विद्युतीकरण तथा नलकूपों और उद्योगों को अधिक बिजली देने के लिये कृत संकल्प है।

सिंचाई के बड़े-बड़े प्रोजेक्टों के लिये अक्सर किसानों की भूमि का अर्जन करना होता है। इस प्रकार कुछ ऐसे छोटे किसान प्रोजेक्ट के लाभ से पूरी तरह से वंचित हो जाते हैं जिनकी कुल जमीन अर्जित हो जाती है। ऐसे किसानों को राहत पहुंचाने के लिये मेरी सरकार ने

निश्चय किया है कि उन्हें दूसरी भूमि देने की व्यवस्था की जाय। इस हेतु उन क्षेत्रों में जहां चकबन्दी पूरी नहीं हुई और चक कटना शेष है, वहां चकबन्दी के द्वारा ही ऐसी भूमि की व्यवस्था का भी सरकार ने निश्चय किया है।

इस वर्ष गन्ने के उत्पादन का भी एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। सरकार किसानों को पूरी कीमत दिलाने तथा पूरा गन्ना पिरवाने के लिये कृत संकल्प है। इस दिशा में सरकार ने खांडसारी को बड़े पैमाने पर खरीदने के लिये भी कदम उठाए हैं ताकि उसका मूल्य स्थिर हो सके। यह संतोष का विषय है कि अब सभी चीनी मिलें व अधिकतर खांडसारी इकाइयां फिर से चलने लगी हैं। मेरी सरकार ने भारत सरकार की मदद से गुड़ की खरीद की भी व्यवस्था कराई है जिससे किसानों को राहत पहुंचे।

पर्वतीय क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों के भत्तों में पर्याप्त वृद्धि की गई ताकि अधिक से अधिक कर्मचारी इन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रोत्साहित हों। पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचाई हेतु पानी की व्यवस्था करने के लिए हाईड्रम स्प्रिंकलर प्रणाली पर बल दिया जा रहा है।

मेरी सरकार ने उद्योगों में शांति बनाये रखने एवं मजदूरों की कठिनाइयों को दूर करने के लिये कई महत्वपूर्ण कदम उठाये। मजदूरों को समय पर मजदूरी न दिए जाने पर मिल मालिकों से ऐसी धनराशि को मालगुजारी के बकाया के रूप में वसूली करने के लिए एक अध्यादेश भी जारी किया गया। औद्योगिक झगड़ों का शांतिपूर्ण निपटारा कराने के लिए कानूनी वा प्रशासनिक कार्यवाही भी की गई है। प्रदेश के हित में मैं मालिकों व मजदूरों से अपील करूंगा कि तालाबन्दी व हड़तालों पर स्वेच्छा से रोक लागू करें।

मेरी सरकार ने प्रदेश में उद्योग और व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए बिक्रीकर की प्रक्रिया को सरल किया है। कैशमेमो पर दस पैसे के टिकट को लगाने की व्यवस्था समाप्त कर दी। छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिये बिक्रीकर के लिये बिक्री की न्यूनतम सीमा को पच्चीस हजार रुपये से बढ़ाकर पचास हजार रुपये कर दिया गया है। यह भी व्यवस्था की गई है कि छोटे व्यापारी अपने आप अपना बिक्रीकर निर्धारण करके उसके अनुसार धनराशि जमा कर सकें। बिक्रीकर प्रणाली में और अधिक सुधार किया जायेगा।

शिक्षा संस्थाओं में शान्ति से पढ़ाई व परीक्षायें सुनिश्चित करना आवश्यक है। विद्यार्थियों और शिक्षण संस्थाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिये सरकार एक गोल मेज सम्मेलन बुलायेगी जिसमें विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। प्रत्येक बालक को प्राथमिक शिक्षा सुलभ हो सके, इस प्रयास के साथ ही साक्षरता के प्रसार के लिये अधिकांश न्याय पंचायत केन्द्रों पर अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की गई है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के कारकों का निर्धारण किया गया है। उर्दू शिक्षा की सहूलियतों से सम्बन्धित आदेशों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा को रोजगार परक बनाया जा रहा है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिये मेरी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में राशन कार्ड बनाने का कार्य पंचायत सेवकों द्वारा सम्पन्न कराने और उसका समस्त रेकार्ड विकास खंडों में रखने की व्यवस्था की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में भी वितरण व्यवस्था को नियमित बनाए रखने के लिये प्रत्येक विकास खंड में एक छोटा पूर्ति कार्यालय खोला गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में चीनी की मात्रा बढ़ाई गयी। आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आई है। मूल्यों में और कमी लाने के लिये सरकार प्रयत्नशील है।

उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिकों की संख्या पूरे देश के भूतपूर्व सैनिकों की संख्या का चौथाई भाग है। भूतपूर्व सैनिकों और उन सैनिकों की विधवाओं व परिवारों के, जो देश की रक्षा करते हुए पिछली तीन लड़ाइयों में शहीद हुए, पुनर्वासिन के लिये मेरी सरकार सक्रिय रूप से प्रयत्नशील है। अनुसूचित जातियों, जन जातियों व पिछड़ी जातियों व भूतपूर्व सैनिकों व विकलांगों

के लिये सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में आरक्षण व्यवस्था का सही अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है। साथ ही प्राइवेट सेक्टर (निजी क्षेत्र) की भी नौकरियों में इन सभी वर्गों के लिये आरक्षण की व्यवस्था पर सरकार विचार कर रही है।

मेरी सरकार ने शासन की बागडोर संभालने के तुरन्त बाद ही उत्तर प्रदेश लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त अधिनियम, 1975 को प्रदेश में प्रवृत्त कर दिया और महत्वपूर्ण लोक सेवकों के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक ढिलाई के आरोपों के सम्बन्ध में जांच करने के लिये लोकायुक्त की नियुक्ति भी कर दी है। भ्रष्टाचार उन्मूलन कार्य के लिये सरकारी एवं गैर सरकारी एजेन्सियों को सुगठित करने की कार्यवाही की गई है। मण्डलीय स्तर पर सर्तकता कार्य के समन्वय का भार मण्डलों के आयुक्तों को सौंपा गया है।

नागरिकों को पूरी सुरक्षा देना सरकार का प्रथम कर्त्तव्य है। एमरजेन्सी के दौरान जो अपराध घटित होते थे उनकी सही सूचना समाचार-पत्रों में नहीं छप पाती थी। अब सभी सूचनायें स्वतन्त्र रूप से छप रही हैं। इसका प्रभाव यह पड़ा कि अपराध कुछ बढ़ते हुये नजर आये, जबकि वास्तविकता यह है कि अपराधों में कमी आई है और मेरी सरकार की सतर्कता से अपराधों की रोकथाम में पर्याप्त सुधार हुआ है। वर्ष 1977 में दो सौ से अधिक डाकू पुलिस के मुठभेड़ों में मारे गये। इस के अतिरिक्त ग्रामीण सुरक्षा समितियों से हुई मुठभेड़ों में भी तेइस डाकू मारे गये। इन मुठभेड़ों में वीरगति पाने वाले पुलिस के अफसरों व जवानों एवं नागरिकों के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राहजनी व रेल गाड़ियों तथा बसों में डकैतियों की रोकथाम के लिये कारगर उपाय किये गये हैं। हिस्ट्री शीटरों व पेशेवर अपराधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। अपराधों की रोकथाम के सम्बन्ध में अच्छा कार्य करने के लिये चौकीदारों को पांच सौ रुपये तक के पुरस्कार की योजना चालू की गई है, जमानत पर छोड़े जाने के प्राविधानों में कड़ाई करने हेतु व फौजदारी मुकदमों का जल्दी फैसला करने के लिये, कानून में संशोधन के लिये सुझाव देने हेतु एक समिति महाधिवक्ता की अध्यक्षता में गठित की गई थी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसे मेरी सरकार ने स्वीकार कर लिया है और उसके अनुसार प्रस्ताव भारत सरकार की स्वीकृति के लिये भेजे गये हैं।

इस सत्र में आपको विशेष रूप से वित्तीय कार्य का सम्पादन करना है। सरकार अपनी विकास नीति व उसके अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के बारे में और विस्तार से घोषणा बजट पेश करते समय करेगी। विधायी कार्य में कुछ अध्यादेशों के स्थान पर विधेयक आपके सामने लाये जायेंगे। उनके अतिरिक्त कुछ अन्य विधेयक भी आपके सामने शीघ्र पेश किये जायेंगे जिनमें से दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक का उल्लेख मैं कर चुका हूं। उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन अधिनियम में भी संशोधन करने के लिए एक विधेयक लाया जाएगा। किसानों द्वारा अपनी उपज के बदले में आढ़तियों से लिया गया अग्रिम इस अधिनियम की परिधि से निकाला जायेगा। ट्रेनिंग कालेजों के अध्यापकों का वेतन वितरण भी सरकार अपने हाथ में लेने के लिये एक विधेयक लायेगी। कोर्स की किताबों का मूल्य नियंत्रित करने के लिये एक विधेयक लाया जायगा। आम के बागों को ईंट के भट्ठों से होने वाले नुकसान से बचाने के लिये एक विधेयक रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विधेयक भी प्रस्तुत होंगे।

इन शब्दों के साथ मैं आपको अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये आहूत करता हूं।

जय हिन्द !

पी0 एस0 यू0 पी--ए0 पी0 26 विधान सभा-20-7-78--(1233)--1978-843-(प्रो0)।